

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2012—आषाढ़ 22, शक 1934

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2012

क्र. ई.-5-800-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती मधु खरे, आयएस., अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 18 से 26 जून 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. ई.-5-828-आयएस-लीव-5-एक.—श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आएस., कलेक्टर, जिला दमोह को दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 एवं 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जे. एस. धुर्वे, अपर कलेक्टर, दमोह को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला दमोह का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. एस. धुर्वे, कलेक्टर, जिला दमोह के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-867-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर को दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तरुण कुमार पिथोड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण कुमार पिथोड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2012

क्र. ई-5-820-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संतोष कुमार मिश्रा, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष कुमार मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संतोष कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष कुमार मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-757-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अरूण कोचर, आयएएस., आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 14 से 18 मई 2012 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्यान्तर्ग स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-825-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस., (2006), कलेक्टर जिला हरदा को दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 एवं 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, की अवकाश अवधि में श्री नागरगोजे मदन विभीषण, भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण, कलेक्टर, जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2012

क्र. ई-5-731-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिव शेखर शुक्ला, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को दिनांक 18 से 23 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2012 एवं 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिव शेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शिव शेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिव शेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-562-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री जे. एन. कांसोडिया, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 2 से 7 जुलाई 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जे. एन.कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही.एस. निरंजन, आयएएस, आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन.कांसोटिया, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जे. एन.कांसोटिया, द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही.एस. निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में श्री जे. एन.कांसोटिया, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन.कांसोटिया, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-900-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएएस., अतिरिक्त संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर को दिनांक 25 जून से 10 जुलाई 2012 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2012

क्र. ई-1-327-2012-5-एक.—श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे, (म. प्र.1981) विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली, तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार) की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा) में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं।

क्र. ई-1-400-2011-5-एक.—श्री प्रमोद कुमार दास, भाप्रसे (1986) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम

तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं।

क्र. ई-5-778-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिनांक 2 से 13 जुलाई 2012 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री वी किरण गोपाल, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 7 से 15 जून 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री वी किरण गोपाल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री वी किरण गोपाल, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वी किरण गोपाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-208-2012-5-एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-206-2012, दिनांक 13 जून 2012 से श्री जॉन किंग्सली ए.आर. भाप्रसे (2004), कलेक्टर, शिवपुरी को संचालक, ग्रामीण रोजगार एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी, समग्र स्वच्छता अभियान के पद पर पदस्थ

किया गया है। श्री किंग्सली दिनांक 2 जुलाई 2012 से 24 अगस्त, 2012 तक के मिड केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस III राऊंड 6 में रहेंगे।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जून 2012 जिसके द्वारा श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998), संचालक ग्रामीण रोजगार की पदस्थापना अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर किया गया है। श्री किंग्सली की मिड केरियर ट्रेनिंग से वापसी तक श्रीमती पुष्पलता सिंह, संचालक, ग्रामीण रोजगार का कार्य अतिरिक्त रूप से संचालित करती रहेंगी।

(2) श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे, (1994), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-216-2012-5-एक.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, भावसे, (1986), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ), आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल पदस्थ किया जाता है। साथ ही उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ), आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-844-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. के. सिंह, आयएस., तत्कालीन कलेक्टर, जिला अशोकनगर को दिनांक 11 अप्रैल 2011 से दिनांक 15 अप्रैल 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री ए. के. सिंह, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 29 जून 2012

क्र. ई-1-231-2012-5-एक.—श्री स्वदीप सिंह, भाप्रसे (1979), वि.क.अ. मध्यप्रदेश मंत्रालय तथा आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा श्रम विभाग की सेवाएं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सौंपते हुए श्री स्वदीप सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री स्वदीप सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की

अनुसूची-2 में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-231-2012-5-एक (ए).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2012 द्वारा श्री स्वदीप सिंह, भाप्रसे (1979), वि. क.अ. मध्यप्रदेश मंत्रालय तथा आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा श्रम विभाग को अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश पदस्थ किया गया है, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के लिए श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, भाप्रसे (1981), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-206-2012-5-एक.—डॉ. एम. मोहन राव, भाप्रसे, (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है।

(2) डॉ. एम. मोहन राव, द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे (1988) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग केवल विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-1-232-2012-5-एक.—श्री अरूण कुमार भट्ट, भाप्रसे, (1993), आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल की सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग से वापस लेकर, उनकी सेवाएं वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को सौंपते हुए श्री अरूण कुमार भट्ट, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अरूण कुमार भट्ट, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-2 में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का प्रभार अतिरिक्त रूप से, सौंपा जाता है।

No. E-5-634-IAS-Leave-5-I.—Sanction is hereby accorded to Dr. Manohar Agnani, IAS (1993) Commissioner, Health Services, Madhya Pradesh to avail ex-India Earned leave of Twenty Six days from 23rd July, 2012 to 17th August, 2012 with permission to prefix/suffix gazetted holidays falling on dated 21, 22 July, 2012 and 18, 19, 20 August, 2012.

(2) Smt. Suraj Damor, IAS (1994), Secretary, Govt. of Madhya Pradesh Tribal Welfare, SC Welfare & Denotified, Nomadic & Semi-Nomadic Caste Welfare Deptt. shall hold the additional charge of Commissioner, Health Services, Madhya Pradesh during the leave period of Dr. Manohar Agnani.

(3) On return from leave Dr. Manohar Agnani is again posted as Commissioner, Health Services, Madhya Pradesh, until further orders.

(4) Smt. Suraj Damor, IAS (1994), Secretary, Govt. of Madhya Pradesh Tribal Welfare, SC Welfare & Denotified, Nomadic & Semi-Nomadic Caste Welfare Deptt. shall be relieved from the additional charge of Commissioner, Health Services Madhya Pradesh after Dr. Manohar Agnani joins the post on return from leave.

(5) Dr. Manohar Agnani will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates he was getting before proceeding on leave.

(6) It is certified that had Dr. Manohar Agnani not proceeded on leave, he would have continued on this post.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2012

क्र. ई-5-544-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रवीण गर्ग, आयएएस., कमिश्नर, भोपाल संभाग को दिनांक 9 से 13 जुलाई 2012 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, भोपाल संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव कमिश्नर, भोपाल संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-547-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को दिनांक 27 से 30 जून 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री शैलेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-808-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस., कलेक्टर, जिला रतलाम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2012 द्वारा दिनांक 29 जून 2012 से 13 जुलाई 2012 तक पन्द्रह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-1-230-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री वी. किरण गोपाल (2008) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट.	प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक (वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन).
2	श्री विशेष गढ़पाले (2008) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.
3	श्री भरत यादव (2008) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.

(2) उपरोक्तानुसार श्री वी. किरण गोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-9 के अंतर्गत प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक के पद असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-2 में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई-1-229-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे, के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	सुश्री के वासुकी (2008), सहायक कलेक्टर, बैतूल.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा (रतलाम).
2	श्रीमती सूफिया फारूकी (2009), सहायक कलेक्टर, सिंगरौली.	अनुविभागीय अधिकारी, मुख्यालय (राजस्व), सीधी.
3	सुश्री प्रीति मैथिल (2009), सहायक कलेक्टर, सागर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी (टीकमगढ़).
4	श्री श्रीकांत बनोट (2009), सहायक कलेक्टर, झाबुआ.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर (धार).

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्र. ई-1-241-2012-5-एक.—श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, (1999), सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के दिनांक 2 जुलाई 2012 से 24 अगस्त 2012 तक मिड केरियर ट्रेनिंग में रहने की अवधि में सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल का प्रभार श्रीमती गीता मिश्रा, भाप्रसे (1997), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-330-2012-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2012 की तालिका-1 के अनुक्रमांक 1 में उल्लेखित अधिकारी, श्री व्ही. किरण गोपाल, भाप्रसे (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट की पदस्थापना प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक (वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन) के पद पर की गई है, के स्थान पर "महाप्रबंधक, ट्रायफेक" (वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन) पढ़ा जाय.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2012 के पद 2 की द्वितीय पंक्ति में उल्लेखित "प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक" के स्थान "महाप्रबंधक, ट्रायफेक" पढ़ा जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2012

क्र. एफ-3-8-2012-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन 2012 (पूर्वाद्ध) हेतु नगरपालिका निगम, सागर, जिला सागर के महापौर एवं नगर परिषद् विजयपुर के अध्यक्ष पद के उपनिर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 6 जुलाई 2012 शुक्रवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिअबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. पंत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2012

क्र. ई-5-464-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2012 द्वारा दिनांक 18 से 27 जून 2012 तक दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, उन्हें अब दिनांक 18 से 25 जून 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश 15 जून 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक".

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जून 2012

क्र. फा. 3(बी)-6-2011-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सचिन कुमार आत्मज श्री इन्द्रेश कुमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर का त्याग-पत्र दिनांक 22 जून 2012 के (अपराह) से स्वीकृत करता है.

## सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2012

क्र. एफ-3-5-2012-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों (नगरपालिका परिषद्/नगर परिषदों) में परिशिष्ट—एक में दर्शाये गये नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2012 हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम (प्रति संलग्न) अनुसार मतदान क्रमशः प्रथम चरण में दिनांक 05 जुलाई 2012 गुरुवार एवं द्वितीय चरण में दिनांक 7 जुलाई 2012 शनिवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उपरोक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिअबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. पंत, उपसचिव.

## परिशिष्ट—एक

अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2012 मतदान हेतु प्रथम व द्वितीय चरण में सम्मिलित किये जाने वाले नगरीय निकायों की चरणवार जानकारी

क्र.	जिला	प्रथम चरण	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	क्र.	द्वितीय चरण	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	रतलाम	1 नगर परिषद सैलाना	15	15					
		योग . .	15	15					
2	बैतूल	2 नगरपालिका परिषद सारणी	36	75	28 नगर परिषद आठनेर		15	15	
		योग . .	36	75	29 नगर परिषद चिचोली		15	15	
					योग . .		30	30	
3	झाबुआ	3 नगरपालिका परिषद झाबुआ	18	43	30 नगर परिषद थान्दला		15	18	
		4 नगर परिषद रानापुर*	15	15	31 नगर परिषद पेटलावद		15	18	
		योग . .	33	58	योग . .		30	36	
4	अलीराजपुर	5 नगर परिषद भाभरा	15	15	32 नगरपालिका परिषद अलिराजपुर		18	18	
		6 नगर परिषद जोबट	15	15	योग . .		18	18	
		योग . .	30	30					
5	धार	7 नगरपालिका परिषद धार	30	60	33 नगरपालिका परिषद मनावर		15	24	
		8 नगर परिषद सरदारपुर	15	15	34 नगर परिषद धरमपुरी		15	15	
		9 नगर परिषद राजगढ़	15	15	35 नगर परिषद धामनोद		15	21	
		10 नगर परिषद कुशी	15	15	36 नगर परिषद डही		15	15	
		योग . .	75	105	योग . .		60	75	
6	बड़वानी	11 नगरपालिका परिषद सेंधवा	24	61	37 नगरपालिका परिषद बड़वानी		24	53	
		12 नगर परिषद पानसेमल	15	15	38 नगर परिषद अंजड		15	19	
		13 नगर परिषद खेतिया	15	15	39 नगर परिषद राजपुर		15	15	
		14 नगर परिषद पलसूद	15	15	योग . .		54	87	
		योग . .	69	106					
7	बुरहानपुर	15 नगरपालिका परिषद नेपानगर	24	29					
		योग . .	24	29					
8	छिंदवाड़ा	16 नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव	18	23	40 नगरपालिका परिषद पांडुरना		30	49	
		17 नगरपालिका परिषद दमुआ	18	28	41 नगरपालिका परिषद सौंसर		15	29	
		18 नगर परिषद हरई	15	15	42 नगर परिषद मोहगांव		15	15	
		योग . .	51	66	योग . .		60	93	
9	सिवनी	19 नगर परिषद लखनादौन	15	17					
		योग . .	15	17					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	मण्डला	20	नगरपालिका परिषद मण्डला	24	51	43	नगर परिषद बम्हनीबंजर	15	15
		21	नगर परिषद निवास	15	15	44	नगर परिषद बिछिया	15	15
						45	नगरपालिका परिषद नैनपुर	15	24
			योग . .	39	66			योग . .	45 54
11	डिण्डोरी	22	नगर परिषद डिण्डोरी	15	19	46	नगर परिषद शहपुरा	15	15
			योग . .	15	19			योग . .	15 15
12	बालाघाट	23	नगर परिषद बैहर	15	15				
			योग . .	15	15				
13	शहडोल	24	नगरपालिका परिषद धनपुरी	24	39	47	नगरपालिका परिषद शहडोल	34	87
		25	नगर परिषद जयसिंहनगर	15	15	48	नगर परिषद बुढार	15	17
			योग . .	39	54			योग . .	49 104
14	अनूपपुर	26	नगरपालिका परिषद कोतमा	15	25	49	नगरपालिका परिषद बिजुरी	15	21
			योग . .	15	25			योग . .	15 21
15	उमरिया	27	नगरपालिका परिषद पाली**	15	24				
			योग . .	15	24				
		27	योग . .	486	704	22		योग . .	376 533
			महायोग . .	862	1237				

\* नगरपरिषद रानापुर जिला झाबुआ का 5 वर्ष का कार्यकाल मई 2011 में समाप्त होने के पश्चात् आम निर्वाचन होना है.

\*\* नगर परिषद से नगरपालिका परिषद में उन्नयन.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

आदेश

भोपाल, दिनांक 12 जून 2012

क्रमांक-एफ-53-03-2012-तीन-934.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36 (2) (क) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट—एक में अंकित प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों (नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्) के आम निर्वाचन, 2012 हेतु म. प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11-क सहपठित नियम 23 के अनुसार निम्नानुसार संशोधित समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है:—

स. क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	समय (5)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना	21, 22	07-06-2012 (गुरुवार)	प्रातः 10.30 बजे से



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन	22 "क"	07-06-2012 (गुरुवार)	प्रातः 10.30 बजे से	
(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	—उपरोक्तानुसार—	प्रातः 10.30 बजे से	
2 नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	14-06-2012 (गुरुवार)	दोपहर 3.00 बजे तक	
3 नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	15-06-2012 (शुक्रवार)	दोपहर 3.00 बजे तक	
4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	21 (ग)	18-06-2012 (सोमवार)	दोपहर 3.00 बजे तक	
5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	30,31	18-06-2012 (सोमवार)	दोपहर 3.00 बजे के पश्चात्	
		प्रथम चरण	द्वितीय चरण	
6 मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	05-07-2012 (गुरुवार)	07-07-2012 (शनिवार)	प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक.
7 मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21 (ङ)	09-07-2012 (सोमवार)	10-07-2012 (मंगलवार)	प्रातः 8.00 बजे से

हस्ता./-

( सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

दूरभाष क्रमांक 0755-255527

## सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2012

क्र. एफ-3-7-2012-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा, पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2012 (पूर्वाह्न) हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम (प्रति संलग्न) अनुसार मतदान दिनांक 02 जुलाई 2012 सोमवार को जिलों के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. पंत, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

आदेश

भोपाल, दिनांक 6 जून 2012

क्र.-एफ-37-02-2012-तीन-868.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा-9 (2) (क) एवं म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 23 की अपेक्षा अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग

एतद्वारा, पंचायतों में 31 मार्च 2012 तक रिक्त हुए पदों की पूर्ति हेतु तथा नवगठित पंचायतों एवं उन पंचायतों जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है तथा जिन ग्राम पंचायतों को आरक्षण से अपवर्जित किया गया है, के आम/उप निर्वाचन, 2012 (पूर्वाह्न) निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है:—

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	दिन और समय (5)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	28	11-06-2012	प्रातः 10.30 बजे से (सोमवार)
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क		—उपरोक्तानुसार—
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23		—उपरोक्तानुसार—
2	नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख	28 (क)	18-06-2012	अपरान्ह 3.00 बजे तक (सोमवार)
3	नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28 (ख)	19-06-2012	प्रातः 10.30 बजे से (मंगलवार)
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	28 (ग)	21-06-2012	अपरान्ह 3.00 बजे तक (गुरुवार)
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38,39	21-06-2012	अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (गुरुवार)
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	02-07-2012	प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (सोमवार)
7	मतगणना	—	02-07-2012	मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (सोमवार)
8	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा			
	(i) पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में	—	03-07-2012	खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) (मंगलवार).
	(ii) जिला पंचायत सदस्य के मामले में	—	04-07-2012	जिला मुख्यालय पर प्रातः 10.30 बजे से (बुधवार)

हस्ता./—

( सुभाष जैन )  
सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

त्रि-स्तरीय पंचायतों में स्थानों ( रिक्त ) पदों की जानकारी त्रैमास 31 मार्च—2012

( जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या )

क्र. (1)	जिला (2)	जिला पंचायत			जनपद पंचायत			ग्राम पंचायत			आम निर्वाचन	
		अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	सरपंच	उप-सरपंच	पंच	सरपंच	पंच
		(3)			(4)			(5)			(6)	
1	मुरैना	—	—	—	—	—	1	1	—	32		
2	श्यामपुर	—	—	—	—	—	—	1	—	2		
3	भिण्ड	—	—	—	—	—	1	3	1	17		
4	ग्वालियर	—	—	—	—	—	—	1	—	31		
5	शिवपुरी	—	—	—	—	—	1	4	—	21		
6	दतिया	—	—	—	—	—	—	3	—	15		
7	गुना	—	—	—	—	—	—	3	—	6	8	111
8	अशोकनगर	—	—	—	—	—	1	2	—	9		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
9	मंदसौर	—	—	—	—	—	—	4	1	17		
10	नीमच	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
11	रतलाम	—	—	—	—	—	—	2	—	16		
12	शाजापुर	—	—	—	—	—	1	1	2	21		
13	उज्जैन	—	—	—	—	—	—	1	1	17		
14	देवास	—	—	—	—	—	—	—	—	22		
15	राजगढ़	—	—	—	—	—	—	2	—	17		
16	सीहोर	—	—	1	—	—	—	0	—	10		
17	विदिशा	—	—	—	—	—	—	1	—	26		
18	भोपाल	—	—	—	—	—	—	1	—	6		
19	रायसेन	—	—	—	—	—	—	1	—	47		
20	बैतूल	—	—	—	—	—	1	3	3	21		
21	होशंगाबाद	—	—	—	—	—	—	2	2	9		
22	हरदा	—	—	—	—	—	—	—	3	8		
23	झाबुआ	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
24	अलिराजपुर	—	—	—	—	—	—	2	—	2		
25	इंदौर	—	—	—	—	—	—	1	—	14		
26	धार	—	—	—	—	—	1	3	—	19		
27	खरगौन	—	—	—	—	—	—	3	4	49		
28	बड़वानी	—	—	—	—	—	—	—	2	4		
29	खण्डवा	—	—	—	—	—	—	2	1	19		
30	बुरहानपुर	—	—	—	—	—	—	1	—	25		
31	टीकमगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
32	पन्ना	—	—	—	—	—	—	4	—	31		
33	छतरपुर	—	—	—	—	—	2	—	—	10	4	65
34	सागर	—	—	—	—	—	—	—	—	23		
35	दमोह	—	—	—	—	—	—	3	—	32	1	20
36	जबलपुर	—	—	—	—	—	1	3	—	9		
37	कटनी	—	—	—	—	—	—	1	1	15		
38	नरसिंहपुर	—	—	—	—	—	—	1	—	16		
39	छिंदवाड़ा	—	—	—	—	—	1	5	—	15		
40	सिवनी	—	—	—	—	—	—	4	—	30		
41	मण्डला	—	—	—	—	—	1	14	8	27		
42	डिण्डोरी	—	—	—	—	—	—	2	—	11		
43	बालाघाट	—	—	—	—	—	1	1	—	24	1	29
44	रीवा	—	—	—	—	—	—	2	2	16		
45	सतना	—	—	—	—	—	—	3	—	28	2	30
46	शहडोल	—	—	—	—	—	—	2	—	19		
47	अनूपपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
48	उमरिया	—	—	—	—	—	1	1	3	—		
49	सीधी	—	—	—	—	—	—	5	—	9		
50	सिंगरौली	—	—	—	—	—	1	—	—	10		
कुल योग . .				1	0	0	15	99	34	851	16	255

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जून 2012

फा. क्र. 17 (ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब (एक)-011-1807-12.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि "मध्यप्रदेश राजपत्र" में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक, 1 और 19 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

क्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
01	अलीराजपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर	कु. किरण गौहर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.
19	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.	श्री इन्द्र पाल सिंह सोलंकी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव, छतरपुर.

F. No.17 (E) 83-03-XXI-B (1)-3056-11-1807-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 (2) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No.17 (E) 83-03-XXI-B (1) dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, part-I. dated 24th September, 2010 namely:—

### AMENDMENT

In the said notification, in the table for serial numbers 1 & 19 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Sr. No. (1)	Name of Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Name of the Judge of the Special Court (4)
01	Alirajpur	IInd ASJ, Alirajpur	Ku. Kiran Gohar, IInd ASJ, Alirajpur.
19	Chhatarpur	ASJ, Nowgaon	Shri Indra Pal Singh Solanki, ASJ, Nowgaon, Chhatarpur.

फा. क्र. 17 (ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब (एक)-011-1807-12.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र", दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक, 1 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

क्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार) (4)
01	अलीराजपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर	अलीराजपुर का विद्युत क्षेत्र.

**टिप्पणी.**—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F.No.17 (E) 83-03-3056-XXI-B (1)-011-1408-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No.17 (E) 83-03-XXI-B (1), dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 24th September, 2010 namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the table for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alirazpur	IInd ASJ, Alirazpur	Electricity area of Alirazpur.

NOTE.—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 30 जून 2012

#### संशोधित अधिसूचना

क्र. 563-भू-अर्जन-2012-अधिसूचना क्र. 512-भू-अर्जन-2012 के अनुसार जारी अधिसूचना में लिपिकीय त्रुटिवश यह उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध लागू होते हैं उक्त पैरा विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे. शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना की यथावत् रहेगी.

#### संशोधित अधिसूचना

क्र. 565-भू-अर्जन-2012-अधिसूचना क्र. 514-भू-अर्जन-2012 के अनुसार जारी अधिसूचना में लिपिकीय त्रुटिवश यह उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध लागू होते हैं उक्त पैरा विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे. शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना की यथावत् रहेगी.

#### संशोधित अधिसूचना

क्र. 567-भू-अर्जन-2012-अधिसूचना क्र. 516-भू-अर्जन-2012 के अनुसार जारी अधिसूचना में लिपिकीय त्रुटिवश यह उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध लागू होते हैं उक्त पैरा विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे. शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना की यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 4766-10-भू-अर्जन-2012

अनूपपुर, दिनांक 28 जून 2012

### करारनामा

यह अनुबंध(करारनामा) आज दिनांक 25 जून 2012 को एम.बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्पलेक्स, कोतमा रोड अनूपपुर (म. प्र.)-484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश माहातो (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर अनूपपुर (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) जिला-अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-42-2008-सात-2ए, दिनांक 24 फरवरी 2012 एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ 16-42-2008-सात-2ए, दिनांक 23 जून 2012 द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.

एम. बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड,  
होटल गोविन्दम काम्पलेक्स, कोतमा रोड अनूपपुर (म. प्र.) 484224 द्वारा जोगेश माहातो

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम. बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड द्वारा अनूपपुर जिले में 2520 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु तहसील जैतहरी, जिला-अनूपपुर स्थित ग्राम लहरपुर (मुरा) में 3.939 हे. ग्राम जैतहरी में 3.855 हे. ग्राम अमगावां में 0.050 हे., ग्राम गुंवारी में 6.681 हे. कुल किता 37 व कुल रकबा 15.476 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अंतर्गत करारनामा किया जा रहा है—

1. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31 अक्टूबर 2007) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, म. प्र. शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें बंधनकारी होंगी, जिनका पूर्णतः पालन करते हुये पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही की जावे.
2. कंपनी द्वारा (इस आशय के करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित एवार्ड राशि रुपये 5384525/- (तिरेपन लाख चौरासी हजार पांच सौ पच्चीस रुपये मात्र) तथा प्रशासनिक व्यय की 10 प्रतिशत राशि 538453/- (पांच लाख अड़तीस हजार चार सौ तिरेपन रुपये मात्र) योग राशि 5922978/- (उनसठ लाख बाइस हजार नौ सौ अठहत्तर रुपये मात्र) कंपनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा किया जा चुका है, शेष राशि एवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.
4. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देश के अंतर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कम्पनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें.
20. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
21. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर अनूपपुर एवं एम. बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा.
22. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमें अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है, स्थानीय लोगों को रोजगार देगी. ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्राथमिकता देगी.
23. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.
24. कंपनी के द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय लोगों को, विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा, योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी.
25. यह करारनामा परियोजना हेतु पूर्व में दिनांक 22-09-2009 को निष्पादित मूल करारनामा का भाग होकर उसके अध्वधीन होगा.

यह करारनामा आज दिनांक 25 जून 2012 को बिना किसी जोर-दबाव के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.

#### प्रथम पक्ष

हस्ता./-

(जोगेश माहांतो)

परियोजना प्रमुख

एम. बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड अनूपपुर

गवाह के हस्ताक्षर:

नाम : ओमप्रकाश नैनवाल

नाम: एस.आर. उपाध्याय

#### द्वितीय पक्ष

हस्ता./-

(जे. के. जैन)

कलेक्टर

जिला-अनूपपुर (म. प्र.).

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 131-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	आगर	1. कानड 2. सिंगावद	2.686 5.380 <hr/> योग : 8.066	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म.प्र.)	टिल्लर बांध की मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर-3 आर. एवं 3-आर. (1) माईनर के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्र. 980-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	कुसमी	शंकरपुर	0.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सीधी.	12 आर शाखा नहर निर्माण हेतु



क्र. 978-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	जुनेर	2.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सीधी.	12 आर शाखा नहर निर्माण हेतु

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 20 जून 2012

क्र. 424-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त कच्चे मकान के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में )	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	बागली	भीकुपुरा	मकान कच्चा 54.72 वर्ग मीटर छप्पर सामने 17.00 वर्ग मीटर.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास	भीकुपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत ग्राम भीकुपुरा स्थित मकान कच्चा अर्जन किया जाने से.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी बागली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 20 जून 2012

प्र. क्र. 10-अ-82-2011-12-377.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) सर्वे रकबा नम्बर हेक्टर में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	चाँचोड़ा	महेशपुरा	63 0.053	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राधोगढ़	महेशपुरा तालाब योजना नहर निर्माण शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी चाँचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.				
(3)	इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चाँचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 जून 2012

क्र. 196-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	उमरी श्रीपती	0.238	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.	बेलहा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बेलहा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 26 जून 2012

क्र. भू-अर्जन-2012-198.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	उमरसिंगी	ग्राम-उमरसिंगी की आबादी भूमि स्थित मकानों/परिसंपत्ति का अर्जन.	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग शुजालपुर.	मकोड़ी उमरसिंगी तालाब योजना

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 28 जून 2012

प्र. क्र. 15अ-82-वर्ष-11-12-भू-अर्जन-5481.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "क" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	बैतूल	सेहरा	7.480	मुख्य प्रबंधक, पावरग्रिड खण्डवा (म.प्र.).	400/220 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य प्रबंधक, पावरग्रिड, खण्डवा (म.प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 28 जून 2012

प्र. क्र. 5-अ-82-11-12-भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर कुल रकबा (हेक्टर में) अर्जित रकबा (हेक्टर में)			(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
रायसेन	बेगमगंज	साजखेड़ा	143/1/2	0.473	0.016	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	साजखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			134, 141	12.351	0.342		
			137, 166/134	1.068	0.137		
			136	0.955	0.075		
			164/139	3.116	0.188		
			107/111	5.208	0.347		
			112	2.723	0.234		
			योग :	07	25.894	1.339	
		बिलखेड़ा	111	0.243	0.008		
		जागीर	112	0.364	0.075		
			113/1/1	1.214	0.016		
			107/1	5.35	0.016		
			109/2	2.255	0.066		
			102	0.619	0.008		
			103/2	6.186	0.22		
			98/2/3	6.580	0.43		
			98/1/2	9.696	0.246		
			98/1/1	4.989	0.176		
			121/1	0.636	0.012		
			85/1/1ग	0.258	0.036		
			86	0.287	0.091		
			82/1	0.324	0.104		
			82/2	0.429	0.096		
			81, 80, 79/3	1.727	0.104		
			83	0.279	0.012		
			76/1/2	2.108	0.217		
			62	1.230	0.125		
			63	0.563	0.020		
			64	0.376	0.033		

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	बिलखेड़ा	61	1.279	0.066	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	साजखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
		जागीर	53, 52/4/4	1.396	0.179		
			53, 52/4/3	0.542	0.062		
			51/1	0.579	0.055		
			51/2	0.579	0.133		
			51/3	0.579	0.033		
			11/2	0.98	0.125		
			11/1	2.604	0.146		
			7/2	1.149	0.009		
		योग :	30	55.404	2.909		
		बोरिया	124/118	0.777	0.041		
		जागीर	113/2	1.093	0.167		
			116	1.226	0.221		
			117/1	0.95	0.004		
			106/2	2.518	0.196		
			107	0.757	0.025		
			108	1.611	0.058		
			105, 104/4/4	0.280	0.020		
			98/5	0.332	0.019		
			104, 105/5	1.619	0.112		
			104, 105/6/1	1.000	0.058		
			104, 105/6/2	0.608	0.029		
			104/105/7/1	0.809	0.037		
			102/2/1	0.202	0.012		
			104, 105/8	1.619	0.117		
			102/1	0.405	0.083		
			104, 105/7/2	0.809	0.037		
			98/3/2	0.162	0.012		
			98/4	0.328	0.138		
			98/1	0.417	0.106		
		योग :	20	17.522	1.488		
		सिहोरा	45	0.721	0.126		
		जागीर	40	0.101	0.055		
			41	0.178	0.004		
			66	1.428	0.055		
			37	12.084	0.315		
			69	0.717	0.066		
			68, 67/2	2.339	0.297		
			76/1/1/1	1.011	0.100		
			76/1/1/2	0.542	0.018		
			281/26	1.619	0.081		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
रायसेन	बेगमगंज	सीहोरा जागीर	259/26	0.769	0.074	कार्यपालन यंत्री, जल	साजखेड़ा जलाशय की मुख्य
		24, 25/1, 24, 25/2	1.813	0.130	0.130	संसाधन संभाग, रायसेन.	नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
		16, 20, 21	7.556	0.169	0.169		
		22	2.473	0.055	0.055		
		181	3.302	0.081	0.081		
		255/181	1.197	0.090	0.090		
		198, 193/2	1.424	0.055	0.055		
		199	4.306	0.186	0.186		
		205	0.749	0.041	0.041		
		206	1.485	0.027	0.027		
		226	0.235	0.022	0.022		
		228/1	0.619	0.055	0.055		
		229/1	0.624	0.048	0.048		
		योग :	23	41.322	2.154		
		कुल योग :	80	140.142	7.890		
		साजखेड़ा	164/139	3.116	0.202	कार्यपालन यंत्री, जल	साजखेड़ा जलाशय की दायीं
			119/1	2.305	0.033	संसाधन संभाग, रायसेन.	तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			119/2	6.092	0.134		
			120/3	3.440	0.634		
			120/2	3.440	0.061		
			125/2	0.170	0.054		
		योग :	06	18.563	1.110		
		शाहपुर	318/12	0.825	0.108		
		सुल्तानपुर	9/4	0.182	0.008		
			7/4	1.575	0.105		
			9/3	0.181	0.090		
			7/3	1.575	0.449		
			5/1/4, 6/1/4	2.569	0.115		
			6/2/1	1.34	0.040		
			6/2/2	1.336	0.142		
			6/3	1.335	0.142		
			30/1	1.408	0.111		
			218/1	0.696	0.083		
			26/2	1.069	0.133		
			28	0.32	0.006		
			29	0.324	0.037		
			53	0.324	0.050		
			30/2	0.809	0.075		
			218/2	0.696	0.071		
			30/3	0.605	0.062		
			236/1	1.371	0.013		
			219/1	1.214	0.083		
			217	0.583	0.075		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	शाहपुर सुल्तानपुर	48, 49, 313, 48/1	1.841	0.125	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
			48, 49, 313, 48/2	1.837	0.125	
			48, 49, 313, 48/3	1.841	0.125	
			48, 49, 313, 48/4	1.841	0.125	
			45	1.850	0.188	
			44	0.559	0.096	
			2/2/1	0.656	0.029	
			2/1	1.214	0.125	
		योग :	29	31.976	2.936	
		खमरिया	327, 326/1	2.832	0.271	
		कलां	327, 326/2	4.334	0.167	
			313, 314	1.539	0.075	
			315	0.469	0.041	
			316	0.34	0.075	
			291/1/2/7	0.971	0.104	
			291/1/2/4	1.011	0.092	
			289/2/1/2	0.781	0.083	
			290/2/2	1.169	0.108	
			289/2/1/1	0.777	0.125	
			289/1/2	1.708	0.221	
			290/2/5	0.809	0.091	
			290/2/1	0.809	0.122	
			251/1, 252, 253	1.105	0.111	
			251/2, 252, 253	1.101	0.122	
			347, 253/1/1	0.50	0.111	
			347, 253/1/2	0.504	0.111	
			342, 254	0.178	0.019	
			256/2/2	0.461	0.033	
			254	1.141	0.206	
			259	0.951	0.195	
			263, 266	1.785	0.137	
			265, 267	2.068	0.083	
			155, 245, 246	5.85	0.192	
			247, 248			
			164/2	0.951	0.137	
			165	0.259	0.008	
			176, 175/1	1.194	0.091	
			200/1	3.42	0.303	
			176, 175/2	0.405	0.072	
			176, 175/3	0.405	0.054	
			174	0.967	0.121	

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	खमरिया कलां.	183	0.414	0.020	कार्यपालन यंत्री, जल	साजखेड़ा जलाशय की दायीं
			170	0.995	0.046	संसाधन संभाग, रायसेन.	तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			184	2.254	0.212		
			198/1	5.01	0.313		
			198/2	5.01	0.229		
			200/2/1	1.804	0.053		
		208, 206, 205/2/1/1	2.777	0.050			
		208, 206, 205/2/1/2	0.405	0.1421			
		207/1	0.186	0.040			
		योग :	40	59.649	4.907		
		सीहोरा	249/2/4	1.619	0.127		
		जागीर	249/2/3	1.416	0.209		
			249/2/2	1.521	0.153		
			249/2/1	1.214	0.154		
			249/2/5	3.342	0.030		
			248/4	4.334	0.334		
			241	1.956	0.125		
			248/2	4.63	0.238		
			248/1	3.179	0.238		
			245/5	2.25	0.083		
			245/3	1.923	0.183		
			245/1/2	5.232	0.158		
			245/1/1/4	3.368	0.091		
			245/1/1/3	3.371	0.096		
			245/1/1/2	3.368	0.091		
			245/1/1/1	3.368	0.125		
		योग :	16	46.109	2.435		
		बेरसला	166, 163, 162/1/2	3.237	0.334		
			166, 163, 162/2/2	0.809	0.029		
			162/2/3	0.948	0.029		
			166, 161/162/2/7/1	0.740	0.041		
			166, 163, 162/2/6	0.948	0.054		
			166, 163, 162/2/5	0.948	0.054		
			166, 163, 162/2/4	0.948	0.054		
			166, 163, 162/2/1	2.023	0.083		
			158/1, 159, 160	1.619	0.108		
			172/1	0.561	0.036		
			174/1/4/2	1.97	0.036		
			176/1/1	3.628	0.030		
			174/1/3/1	1.154	0.011		
			174/1/2/1	0.462	0.021		



(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	बेरसला	174/1/2/2	0.458	0.018	कार्यपालन यंत्री, जल	साजखेड़ा जलाशय की दार्यों
			174/1/2/3	0.455	0.021	संसाधन संभाग, रायसेन.	तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			174/1/1	1.019	0.021		
			173	3.310	0.209		
			176/2/2	3.237	0.011		
			176/2/1	4.015	0.091		
			176/1/2	3.626	0.041		
			योग : 21	36.115	1.332		
			कुल योग : 112	192.412	12.720		
			महायोग : 192	332.554	20.610		

**नोट.**—भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### संशोधित अधिसूचना

प्र. क्र. 4-अ-82-10-11-भू-अर्जन खजूरिया, सुल्तानजहांपुर, मुरपार-11-12.—भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज ने टेहरी जलाशय की नहर हेतु दिनांक 29-8-2011 को भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु प्रारूप भेजा था. कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना प्रारूप में निम्न खसरा क्रमांकों एवं रकबों में भिन्नता पायी गई. इस कारण धारा 4 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जानी है. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, धारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			जारी अधिसूचना अनुसार प्रकाशित किये जाने वाले खसरा क्रमांक एवं रकबा			संशोधित जो प्रकाशित होना है (अर्जित की जाने वाली भूमि)		
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>अशासकीय भूमि का विवरण</b>								
रायसेन	गैरतगंज	सुल्तानजहांपुर	254/1/1	1.558	0.029	—		विलोपित
			264/1/4	1.586	0.450	—		विलोपित
			266	0.498	0.017	—		विलोपित
			245	0.304	0.011	—		विलोपित
			244	0.684	0.047	—		विलोपित
			243	2.614	0.100	—		विलोपित
			230	0.910	0.041	—		विलोपित
			218/1	1.214	0.207	—		विलोपित
			221	2.351	0.083	—		विलोपित
			276/3, 213,					
			212, 211, 210,	1.214	0.136	—		विलोपित
			209, 208					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
रायसेन	गैरतगंज	सुल्तानजहांपुर	276/4, 213, 212, 211, 210, 208	1.760	0.083	-	-	विलोपित
			276/5, 213, 212, 211, 210, 209, 208	0.542	0.041	-	-	विलोपित
			183/1/1	2.287	0.261	-	-	विलोपित
			201	1.680	0.118	-	-	विलोपित
			184/2/1/2	0.506	0.148	-	-	विलोपित
					कुल रकबा . .1.991			
		खजूरिया				7	7.988	0.133
						कुल रकबा	7.988	0.133
		सुल्तानजहांपुर	-	-	-	254, 255, 256, 264		0.644
			-	-	-	266	0.498	0.009
			-	-	-	244, 245	0.998	0.090
			-	-	-	243	2.641	0.85
			-	-	-	242	7.171	0.045
			-	-	-	227, 229, 230, 231/1	1.691	0.053
			-	-	-	228	1.691	0.053
			-	-	-	231	1.941	0.012
			-	-	-	219	6.811	0.253
			-	-	-	220, 221, 222, 224	1.968	0.081
			-	-	-	218	2.306	0.156
			-	-	-	208, 209, 210		
			-	-	-	211, 212, 213, 276	3.516	0.161
			-	-	-	183	5.888	3.303
			-	-	-	184	1.577	0.179
			-	-	-	185	3.816	0.032
			-	-	-	199		
			-	-	-	186	1.672	0.221
			-	-	-	187	0.882	0.123
			-	-	-	189	0.283	0.04
			-	-	-	94	3.727	0.045
			-	-	-	18		0.113
			-	-	-	13, 17	4.395	0.234
			-	-	-	4, 6, 7, 4	1.070	0.036
			-	-	-	8,11	1.358	0.205
			-	-	-	4,6,7	2.08	0.166
			-	-	-	कुल रकबा		7.104
		मुरपार	-	-	-	48	2.386	0.065
			-	-	-	321/49	10.387	0.506
			-	-	-	322/52/53	2.861	0.258

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
रायसेन	गैरतगंज	मुरपार	-	-	-	34	2.729	0.280
			-	-	-	31	4.615	0.109
			-	-	-	21, 23, 24	5.221	0.101
			-	-	-	30/2	0.351	0.009
			-	-	-	341/312/28	1.222	0.133
			-	-	-	167/68	5.119	0.303
			-	-	-	176, 169, 177	2.473	0.113
			-	-	-	174/175	1.205	0.101
			-	-	-	99,100,101,102		
						103, 104, 105,	5.233	0.323
						106, 107		
			-	-	-	58	4.138	0.300
			-	-	-	59, 61, 62,	4.091	0.202
						324/62		
			-	-	-	291, 292,	7.891	0.333
						293, 295		
			-	-	-	290	5.330	0.141
			-	-	-	223	0.490	0.012
			-	-	-	222	1.754	0.032
			-	-	-	224	6.110	0.400
			-	-	-	225, 226, 227	2.133	0.024
			-	-	-	228, 229, 230	1.667	0.125
						231/12		
						232/233	1.647	0.028
						245, 246, 249	3.975	0.433
						286/1	1.239	0.238
						255		0.040
						256	3.520	0.436
						257	4.497	0.303
						259	2.088	0.482
						260/1	3.387	0.214
						105, 108, 109,		
						110, 111, 112,	6.733	0.171
						113, 114, 115,		
						116, 117, 258		
						247		0.294
						250	7.173	0.285
						251	3.733	0.143
						284	6.353	0.261
						282	13.662	0.388
						278	0.789	0.032
						285	2.577	0.025
						339/284	15.241	0.384
						249	3.844	3.149
						कुल रकबा		11.176
						कुल रकबा		18.413

प्र. क्र. 4-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	बेगमगंज	गेहूंरास	26/2	2.225	0.224	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	बेरखेड़ी नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			264/27/2	1.740	0.252		
			234/3	0.970	0.140		
			29/2	0.651	0.154		
			207/2	0.048	0.028		
			69	1.712	0.098		
			197	0.073	0.056		
			257/192	0.069	0.028		
			29/1	1.902	0.210		
			32/2	1.529	0.098		
			33	0.178	0.084		
			208/1	0.060	0.028		
			208/2	0.056	0.028		
			117	0.466	0.048		
			209	0.401	0.042		
			207/1	0.057	0.028		
			196	0.121	0.035		
			191	0.125	0.028		
			146	0.117	0.021		
			147	0.219	0.070		
			151/2	0.085	0.085		
			131/2	2.293	0.035		
			129/2/2	1.311	0.252		
			125/1/2	1.268	0.294		
			123/1/1	0.833	0.084		
			123/1/2	0.833	0.084		
			123/2	1.088	0.060		
			120/1/4,	1.211	0.072		
			120/2				
			120/1/3,	1.206	0.072		
			120/2				
			120/1/2,	1.238	0.066		
			120/2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			120/1/1,	1.056	0.066		
			120/2				
			118	0.587	0.060		
			113/2/1	2.287	0.225		
			113/2/2	0.882	0.075		
			113/1	0.627	0.084		
रायसेन	बेगमगंज	विनायकपुर	155/1/3	1.619	0.144		
			155/1/2	0.421	0.108		
			156	3.601	0.036		
			153/2	1.619	0.164		
			153/1	0.623	0.100		
			148/2	2.542	0.144		
			148/3	1.854	0.060		
			150	0.761	0.096		
			149	0.376	0.132		
			132	2.049	0.180		
				योग	4.478		

नोट.—(1) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बेगमगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 29 जून 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-614.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	पिछोर	मनपुरा	602	0.23	कार्यपालन यंत्री,	महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत
			607	0.33	जल संसाधन संभाग,	दायीं तट नहर के निर्माण हेतु.
			608	0.01	जिला शिवपुरी (म.प्र.)	
			618	0.15		
			621	0.36		
			623	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			624	0.43		
			645	0.18		
			657	0.11		
			660	0.02		
			661	0.08		
			662	0.02		
			666	0.02		
			668	0.13		
			669	0.08		
			693	0.17		
			700	0.09		
			701	0.13		
			702	0.02		
			704	0.30		
			योग	2.87		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-621.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	पिछोर	रैपुरा	3	0.17	कार्यपालन यंत्री,	महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत
			6	0.30	जल संसाधन संभाग,	दाई तट नहर के निर्माण हेतु.
			7	0.03	जिला शिवपुरी (म.प्र.)	
			65	0.01		
			69	0.03		
			70	0.05		
			71/1	0.24		
			72/1	0.04		
			164	0.03		
			190	0.18		
			198	0.15		
			199	0.14		
			200	0.15		
			201	0.38		
			202	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			204	0.05		
			234	0.26		
			245	0.13		
			248	0.08		
			249	0.02		
			250/1	0.09		
			250/2	0.09		
			251	0.09		
			266	0.19		
			268	0.19		
			269	0.12		
			286	0.01		
			287	0.11		
			288	0.05		
			289	0.02		
			290	0.17		
			291	0.07		
			292	0.02		
			293	0.01		
			385/1	0.11		
			योग	3.86		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-628.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	पिछोर	दुल्हई	15	0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला शिवपुरी (म.प्र.)	महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत दाई तट नहर के निर्माण हेतु.
			120	0.02		
			130	0.05		
			131	0.24		
			132	0.02		
			134	0.11		
			135	0.04		
			136	0.02		
			137	0.09		
			138/2	0.21		
			140	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			141	0.11		
			142	0.33		
			143	0.02		
			146	0.17		
			151	0.08		
			152	0.03		
			167	0.17		
			168	0.24		
			169	0.33		
			170	0.15		
			173	0.05		
			174	0.13		
			193	0.06		
			194	0.08		
			196	0.07		
			197	0.24		
			199	0.01		
			211	0.08		
			212	0.10		
			215	0.05		
			218	0.03		
			659	0.12		
			662	0.08		
			665	0.21		
			666	0.13		
			667	0.27		
			671	0.06		
			1090	0.22		
			1091	0.31		
			1092	0.04		
			1095	0.86		
			1096	0.08		
			1100	0.29		
			1101/1	0.82		
			1107	0.01		
			1108	0.29		
			1109/1	0.13		
			1110/1	0.07		
			1110/2	0.14		
			1111	0.19		
			1113	0.31		
			1120	0.05		
			1122	0.04		
			1124	0.14		
			1125	0.20		
			1131	0.04		
			1132	0.07		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1133	0.05		
			1134	0.05		
			1135	0.18		
			1137	0.07		
			1139	0.07		
			1141	0.05		
			1142	0.15		
			1143	0.20		
			1144	0.09		
			1145	0.03		
			1266	0.12		
			1267	0.01		
			1272	0.02		
			1274	0.03		
			1275	0.06		
			1277	0.04		
			1279	0.06		
			1280	0.01		
			1281	0.09		
			1282	0.01		
			1283	0.02		
			1284	0.07		
			1290	0.13		
			1301	0.08		
			1302	0.09		
			1304	0.03		
			1305/1	0.04		
			1305/2	0.04		
			1316	0.04		
			1318	0.05		
			1319	0.08		
			1320	0.05		
			1321	0.11		
			1322	0.01		
			1324	0.10		
			1348/3	0.01		
			1349	0.05		
			1369	0.01		
			1372	0.01		
			1374	0.09		
			1375	0.15		
			1386	0.05		
			1621	0.12		
			1628	0.09		
			1629	0.09		
			1631	0.14		
			1642	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1645	0.04		
			1646	0.05		
			1647	0.05		
			1650	0.01		
			1651	0.03		
			1653	0.16		
			1654	0.02		
			1655	0.04		
			1657	0.03		
			1658	0.03		
			1660/1	0.03		
			1662	0.06		
			1663/1	0.01		
			1665	0.02		
			1666	0.03		
			1667	0.02		
			1668	0.04		
			1669	0.02		
			1670	0.03		
			1676	0.03		
			1677	0.04		
			1678	0.03		
			1679	0.03		
			1680	0.06		
			1681	0.03		
			1774	0.29		
			1775	0.16		
			1776	0.14		
			1778/1	0.22		
			1778/2	0.17		
			1779/1	0.11		
			1780	0.08		
			1786	0.10		
			1787	0.16		
			1789	0.06		
			1790	0.06		
			138/1	0.02		
			1101/2	0.13		
			1048/2	0.01		
			192	0.02		
			योग . .	14.65		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 30 जून 2012

भू-अर्जन-प्र.क्र. 1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	खेतगांव	375.290	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी.	अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण से संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, अपर नर्मदा परियोजना, राजेन्द्रग्राम या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 जून 2012

क्र. 62-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन का	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ग्वालियर	ग्वालियर	गोबई	0.770	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर / रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
			योग . . . 0.770		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 63-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
ग्वालियर	ग्वालियर	चन्द्रपुरा	1.445	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर / रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>1.445</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 64-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
ग्वालियर	ग्वालियर	इकहरा	4.695	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर / रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>4.695</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्र. . . . भू-अर्जन-07-अ-82-11-12-क्र. 2024-भू-अर्जन-रीडर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ जिला	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	रानापुर/ झाबुआ	सुरडिया	5.76	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, रानापुर में किया जा सकता है.

क्र. . . . भू-अर्जन-05-अ-82-11-12-क्र. 2027-भू-अर्जन-रीडर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ जिला	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	रानापुर/ झाबुआ	गलती	2.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, रानापुर में किया जा सकता है.

क्र. 2029-भू-अर्जन-04-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ जिला	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	झाबुआ/ झाबुआ	नाहरपुरा	15.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, रानापुर में किया जा सकता है.

क्र. . . भू-अर्जन-06-अ-82-11-12-क्र. 2031-भू-अर्जन-रीडर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ जिला	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	रानापुर/ झाबुआ	खेडा	8.88	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, रानापुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 3 जुलाई 2012

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 1374-12-पत्र क्र.-3-7-12-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	तिंदुहटों	2.566	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग, अमरपाटन, जिला सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 1375-12-पत्र क्र.-3-7-12-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	आमाडाड़ी	4.994	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग, अमरपाटन, जिला सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 1376-12-पत्र क्र.-3-7-12-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	सोनवारी	3.271	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग, क्रमांक 07, जिला सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2012

प्र. क्र. 1-भू.अ.-अ-82-11-12-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है. खसरा नं. रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	पीपलखेड़ी	211/1 212/2 413 414	0.300 0.450 2.240 0.900	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			409	3.350		
			412	1.870		
			410	0.490		
			211/2	0.330		
			220	0.270		
			219	0.810		
			46/3	0.050		
			कुल योग . .	<u>11.060</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-भू.अ.-अ-82-11-12-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित किया जाने वाले है. खसरा नं. रकबा (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	रोड़िया	118	0.350	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.
			119	4.470		
			133	0.820		
			212	1.000		
			213	0.890		
			217	4.090		
			218	1.540		
			कुल योग . .	<u>13.160</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जून 2012

क्र. 1851-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मनबाही 453	9.560	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1853-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पैपखरा	15.640	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1855-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मझियार	28.860	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1857-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	कबरा	13.680	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1859-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मनबाही 452	12.240	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

**नोट.**— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1861-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	कटकी	24.760	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

**नोट.**— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1863-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	दुर्गवा	16.120	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	क्यौंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उप शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्र. 1900-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बन्नेह	1.429	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में स्थित निजी भूमि के अर्जन हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1902-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध

उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	देवराजनगर	2.267	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में स्थित निजी भूमि के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 जुलाई 2012

क्र. 1911-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	उकसा	3.08	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र. 1913-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	चमारी महुआबांध	1.06	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की डमक माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1915-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	घोपारी	1.10	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की देवगांव सब माइनर के निर्माण हेतु.

**नोट.**— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1917-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	डमक	3.38	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की डमक माइनर के निर्माण हेतु.

**नोट.**— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1919-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	परसवार	4.00	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की परसवार माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1921-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	देवगांव	3.02	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की देवगांव सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.



क्र. 1923-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	बेलगांव	3.43	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की बेलगांव माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1925-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	बल्हया	3.70	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की बल्हया सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1927-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	चितवरिया नं. 3	0.25	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1929-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	चितवरिया नं. 4	0.64	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1931-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	सजमानी कला	1.38	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी सब माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

**नोट.—**भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1933-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	सुपेला	0.62	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

**नोट.—**भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1935-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	चितवरिया नं. 5	0.81	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

**नोट.—**भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1937-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	बाँकी कोठार	2.20	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

**नोट.—**भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1939-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	सजमानी कला	3.70	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1941-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	चितवरिया नं. 6	0.50	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1943-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	करकोटा	2.64	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1, की टेल माइनर सब माइनर के निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1945-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	सुअरगात	0.79	कार्यपालन यंत्री, लोअर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की गोपालपुर एक्सटेंशन सब-माइनर के निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1947-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	कुंआ	4.07	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की गोपालपुर एक्सटेंशन सब-माइनर के निर्माण हेतु.

**नोट.—**भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1949-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	रामपुर	4.75	कार्यपालन यंत्री, लोअर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बेलकसरी सब माइनर के निर्माण हेतु.

**नोट.—**भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1951-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	झांझ	0.32	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की शिवराजपुर सब-माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1953-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	रामपुर	1.58	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की हरिहपुर सब-माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.



क्र. 1955-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	घुघुटा	3.12	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की घुघुटा सब-माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1957-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	भितरी	4.22	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की भितरी सब-माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1959-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	भितरी	2.57	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बरहा टोला सब-माइनर के निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1961-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	पटेहरा	0.81	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटेहरा सब-माइनर के निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1963-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	गोपालपुर	1.83	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटेहरा सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1965-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	गोपालपुर	2.91	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की गोपालपुरा सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1967-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	डिठौरा	1.58	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की डिठौरा सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1969-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	झाला	1.06	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की झाला सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1971-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	कोठिया	1.69	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कोठिया सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1973-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	कटौली	1.06	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कोठिया सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1975-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अतरैला	1.06	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1977-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	हिनौती	2.56	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1979-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	लिलवार	2.32	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1981-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	सेमरी	1.62	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1983-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	महुआर	0.87	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1985-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	वसुली	0.27	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1987-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश



देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अमरा	0.80	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1989-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अमिरती	1.55	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1991-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	हिनौती	0.81	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1993-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	परसीधी	1.63	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1995-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	राजगढ़ कोठार	0.94	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1997-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अमिलिया	1.41	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1999-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अमिलिया	2.90	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2001-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अमिलिया	2.11	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2003-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	ममदर	5.02	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की ममदर के माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2005-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	साडा (शिवराजपुर)	5.02	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की शिवराजपुर, (साडा) सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2007-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	बडखरा-740	2.64	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बडखरा सब-माइनर क्र. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2009-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	तितिरा शुक्लान	1.386	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की तितिरा सब-माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2011-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	तितिरा शुक्लान	2.277	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की तितिरा सब-माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2013-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	पडखुरी कोठार	2.673	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की मनपसरा सब-माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2015-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	पडखुरी कोठार.	2.525	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की भग्नरा सब-माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2017-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	करोईखाँड़	0.048	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बढौना सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2019-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश



देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	बढ़ौना	4.56	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बढ़ौना सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2023-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मुर्तला	1.600	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	मुर्तला माइनर की शिवराजपुर सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2025-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मुर्तला कोठार.	1.33	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	शिवराजपुर सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.

क्र. 2027-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	घटोखर	2.18	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	घटोखर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2029-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	झाझ	2.16	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.),	रायखोर माइनर नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 29 मई 2012

	(1)	(2)
	186 पैकि	0.040
	188 पैकि	0.008
	190 पैकि	0.223
	कुल रकवा . . .	<u>1.807</u>

क्र. 1006-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 25-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजद  
(ग) ग्राम—पलास्या  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.807 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
137 पैकि	0.186
138/1, 138/3, 138/4 पैकी	0.210
138/6, 138/7, 138/8, 140/2 पैकि	0.242
143/2 पैकि	0.166
152/1 पैकि	0.016
152/2 पैकि	0.036
157 पैकि	0.321
162/2 पैकि	0.056
162/4, 163/2, 163/5	0.178
208/2 पैकि	
174/1	0.073
176/1 पैकि	0.004
176/2 पैकि	6.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बड़वानी व कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 27 जून 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-13-1-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर  
(ख) तहसील—शादौरा

- (ग) ग्राम—कांकड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.195 हे.

सर्वे नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
556/2/3	0.195
योग . .	<u>0.195</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कांकड़ा स्टॉप डेम कम काजवे में दांयी तरफ रोड निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-4-अ-82-2011-12-4-अ-82.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर  
(ख) तहसील—अशोकनगर  
(ग) ग्राम—सेपरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.302 हे.

सर्वे नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
366/2	0.302
योग . .	<u>0.302</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सोवत स्टाप डेम कम काजवे पहुंच मार्ग हेतु स्थाई अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान), निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 28 जून 2012

क्र. 462-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—देवास  
(ख) तहसील—टोंकखुर्द  
(ग) ग्राम—बालोन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.37 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
689	0.12
948	0.13
1218	0.03
1219	0.09
योग . .	<u>0.37</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— चांदगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र नहर से प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 28 जून 2012

क्र. 4910-भू-अर्जन-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—देवरी  
(ग) ग्राम—देवरी खास, प.ह.नं. 71  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.88 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
122	0.09
123	0.20
124	0.06
129	0.09
130	0.01
131/1	0.20
132	0.23
योग . . . 0.88	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना की माइनर नहर निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
खण्डवा, दिनांक 29 जून 2012

नस्ती क्र. 148-2012-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.8-अ-82-11-12-शुद्धि पत्र.—छनेरा तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली ग्राम कोहदड़, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-8-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25 मई 2012 को चौथा संसार समाचार-पत्र में, दिनांक 18 मई 2012 को, स्वदेश समाचार-पत्र में दिनांक 18 मई 2012 तथा आम इशितहार में दि. 29 मई 2012 को हुआ है.

उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25-5-12	1363/1 1480 704/1 704/2	0.40 0.08 0.03 0.055	1363/1 1480 704/1 704/2	0.04 0.06 0.04 0.064
चौथा संसार समाचार-पत्र में दिनांक 18-5-12	1363/1 1480 704/1 704/2	0.40 0.08 0.03 0.055	1363/1 1480 704/1 704/2	0.04 0.06 0.04 0.064
स्वदेश समाचार-पत्र में दिनांक 18-5-12	1363/1 1480 704/1 704/2	0.40 0.08 0.03 0.055	1363/1 1480 704/1 704/2	0.04 0.06 0.04 0.064
आम इशितहार में दि. 29-5-12	1363/1 1480 704/1 704/2	0.40 0.08 0.03 0.055	1363/1 1480 704/1 704/2	0.04 0.06 0.04 0.064

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.442 हे. के स्थान पर 2.721 हे. होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं	(1)	(2)
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	195	0.009
	204	0.056
टीकमगढ़, दिनांक 29 जून 2012	208	0.013
प्र. क्र. 8 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो	213	0.063
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,	237	0.034
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये	238/1	0.045
आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,	277	0.005
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित	278	0.145
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	276	0.020
आवश्यकता है :—	291	0.004
	300	0.040
अनुसूची	301	0.013
(1) भूमि का वर्णन—	303	0.013
(क) जिला—टीकमगढ़	304	0.046
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर	305	0.032
(ग) ग्राम—जलंधर	307/1	0.008
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.199 हेक्टेयर.	309/1	0.001
	332	0.020
खसरा	341	0.012
नम्बर	330	0.024
(1)	350	0.040
	147	0.067
65	149/1	0.107
67	179/1	0.032
69	181	0.040
68	182	0.046
70	183/747	0.080
71	179/2	-
77	180	0.028
79	196	0.028
80	197	0.002
49	209	0.023
107	356	0.50
108/2	336	0.028
108/1	339	0.020
109	340	0.015
118	337	0.005
131	346	0.030
132	357	0.005
133	358	0.005
138/3/1	361	0.030
138/3/2		
138/3/2ख		

(1)	(2)	(1)	(2)
389	0.015	89/2/2	0.335
354	0.010	87/2	0.381
कुल योग : <u>2.199</u>		89/2/3	0.095
(2) सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.		89/2/1	0.501
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाडी के कार्यालय में किया जा सकता है.		89/1	0.260
		127	0.178
		128	0.700
		129	0.794
		286/2	0.376
		287/1/1	0.205
		287/1/2	0.198
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		351/1/2	0.170
		287/1/3	0.191
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		287/2	0.290
		351/2	0.310
		287/3/1/3	0.047
		342/2/2	0.234
कुक्षी, दिनांक 29 जून 2012		351/3/1/2	0.044
		287/3/1/2	0.048
क्र. 10100-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		342/2/1	0.234
		351/3/1/3	0.044
		287/3/1/4	0.047
		342/2/4	0.234
		351/3/1/1	0.043
		287/3/1/1	0.048
		342/2/3	0.234
		351/3/1/4	0.044
अनुसूची		303	0.100
(1) भूमि का वर्णन—		356	0.094
(क) जिला—धार		304	0.125
(ख) तहसील—कुक्षी		381/2	0.125
(ग) ग्राम—रामपुरा		383/3	0.222
(घ) लगभग क्षेत्रफल —66.744 हेक्टर.		384/2	0.009
खसरा क्रमांक	रकबा	401/5	0.145
	(हे. में)	414/1	0.098
(1)	(2)	330/2क	0.014
83	0.800	305	0.105
416	0.597	330/ग	0.015
92/1	0.196	374	0.021
92/2	0.818	375/1	0.100
94	0.449	376/3क	0.008
87/1	0.068		

(1)	(2)	(1)	(2)
379/2ग	0.283	322/2	0.836
401/3	0.110	334/4ख	0.575
414/3	0.098	362/1पेकी	0.522
284/1	0.471	368/2	0.021
306/2	0.070	376/1/1	0.742
330/2घ	0.015	329/1/3	0.073
376/3ख	0.065	339/1/4	0.187
379/2ख	0.137	352/1/4	0.136
401/1	0.124	395/4	0.093
414/4	0.098	329/1/5	0.136
308/1/1क	0.388	320/1/6	0.125
321/1	0.300	339/1/3	0.199
405	0.691	352/1/3	0.136
319	0.272	395/3	0.136
329/1/4	0.098	339/2	2.257
324	0.596	352/2	1.181
334/2	0.355	351/3/2	0.175
362/2	0.261	287/3/2	0.190
366/1	0.094	351/1/1	0.205
364/3	0.084	349/2	0.470
368/1	0.157	349/1	0.607
425/2/3	0.408	348	0.300
360/4	0.010	343	0.293
321/2	0.857	357/2/3	0.052
321/5	0.150	358/3	0.157
429/2	0.105	358/6	0.021
430/1	0.177	329/1/2	0.083
321/3	0.163	339/3/2	0.136
429/4	0.136	341	0.324
430/3	0.136	352/1/6	0.125
321/4	0.150	329/1/1	0.394
308/1/2	0.323	329/2	0.031
322/1	0.826	328/3	0.042
334/3	0.554	329/4	0.209
334/4क	0.575	352/1/5	0.136
360/3	0.010	365	0.084
362/3	0.303	395/5	0.073
364/1	0.125	353	0.523
364/4	0.084	357/2/1	0.052
425/2/1	0.513	358/1	0.157
425/1/3	0.820	387/2	0.261



(1)	(2)	(1)	(2)
357/2/5	0.063	383/2	0.055
358/5	0.145	384/1	0.022
357/2/2	0.052	401/1	0.115
358/2	0.199	414/5	0.099
397/1	0.063	306/3	0.070
357/2/4	0.053	330/2ख	0.014
358/4	0.147	379/2ख	0.145
397/3	0.334	381/1	0.126
364/2/1	0.052	383/1	0.110
361/1	0.701	401/2	0.123
332	0.057	414/2	0.098
362/4/1	0.125	380/6	0.418
390	0.157	398/2	0.575
391/2	0.293	400/1	1.428
391/4	0.386	402/2	0.648
402/1/1	0.387	425/1/1	0.470
425/2/2	0.439	426/1	1.672
361/2	0.679	400/2	1.307
362/4/2	0.157	404	0.617
364/2/2	0.042	408/2	0.380
391/1	0.209	415	0.136
391/3	0.272	418/1	0.637
426/2	0.408	418/2 पेकी	0.810
402/1/2	0.376	418/2 पेकी	1.772
370	0.209	424	1.625
400/3	1.280	424/1	0.684
376/1/2	0.010	424/3	0.942
378/1क	0.265	427/2	0.300
379/1	0.721	427/3	0.300
380/2	0.063	428/1	0.300
380/3	0.021	362/1 पेकी	0.293
380/4	0.031	428/2	0.300
380/5/1	0.319	308/1/1ख	0.389
380/7	0.503	429/1	0.076
386	0.241	430/5	0.210
378/2	0.021	429/3	0.125
378/1ख	0.028	430/2	0.177
380/5/2	0.210	429/5	0.077
306/1	0.070	430/6	0.200
330/2क	0.015	429/6	0.077
379/2क	0.156	430/4	0.208

(1)	(2)	(ग) ग्राम—कुण्डारा	(घ) लगभग क्षेत्रफल —287.766 हेक्टर.
131/2	0.283		
132/1	0.014	खसरा क्रमांक	रकबा
90/2	0.052		(हे. में)
90/1	0.439	(1)	(2)
132/2	0.153	154	0.178
284/2	0.010	157/2	0.130
286/1	0.363	158/1	0.820
131/1	0.836	159/2	0.175
339/3/1	0.282	412/3	0.450
395/2	0.157	186/11	0.014
352/1/2	0.136	186/10	0.014
339/1/2	0.189	157/1ख	0.014
352/1/1	0.136	160/2/2	0.500
395/1	0.231	152/3	0.210
317/2	0.010	153/2	0.014
425/1/2	0.456	153/4	0.033
327/1	0.052	152/2/2	0.428
326/3	0.249	152/2/1	0.683
326/4	0.249	160/2/1	0.577
327/2	0.250	165/3	0.200
375/2	0.067	280/4	0.250
योग . .	<u>66.744</u>	297/1	1.023
		314/4	0.257
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना (बांध) निर्माण से प्रभावित होने से.		443/2/3	0.300
		453/1	0.345
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय, कुशी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन में देखा जा सकता है.		453/2	0.052
		152/1	1.200
		148/2	0.879
		158/3	0.900
		410/2	0.659
		143	0.063
		148/1	0.188
		148/3	0.690
		153/3	0.048
		410/1	0.386
		141	0.750
		142	0.784
		289	0.439
		364	0.637
(1) भूमि का वर्णन—		463/3	0.105
(क) जिला—धार		490/1	0.596
(ख) तहसील—कुशी			

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुशी

(1)	(2)	(1)	(2)
115/1	0.850	199	0.136
338/1	0.209	204/1/3	0.262
338/2	0.052	100/3	0.272
115/2	0.600	100/4	0.270
260	0.983	100/2	0.758
338/3	0.189	92/5	0.275
336/1	0.324	96/2	0.055
413/1/2	0.183	92/4	0.136
115/3	0.208	96/1	0.055
335	0.303	92/3	0.145
115/4	0.902	92/2	0.273
106/3	0.140	92/1	0.521
242/1	0.920	19/1	0.198
389	0.387	19/2	0.118
497/1	0.546	19/3	0.117
106/1	0.050	19/4	0.117
242/2	0.836	15/1/8	0.050
284/1/2	0.555	165/1	0.560
284/2	0.010	429/2	0.637
105/3	0.100	214/1	0.575
188	0.460	214/2	0.094
345/1	0.199	262/2	0.225
464/1	0.888	300/3	0.115
464/2	0.011	366/3	0.262
497/4	0.227	446/3	0.470
565	0.428	214/3	0.345
105/2	0.500	214/4	0.115
106/2	0.140	300/5	0.105
497/2	0.302	367/1	0.261
105/1	0.500	446/1	0.471
284/1/1	0.554	446/4	0.105
388	0.355	217	0.878
494	0.209	219/1	0.084
497/3	0.345	218/1	0.238
104/2	0.457	219/4	0.066
346/1	0.230	244/2	0.690
390/1क	0.304	218/2	0.750
501/1	1.061	219/3	0.260
99	0.130	218/3	0.750
100/1	0.318	219/2	0.260
100/5	0.125	232/2	0.585

(1)	(2)	(1)	(2)
220	0.794	170	0.649
322/2	0.211	174/2	0.480
322/4	0.386	166/1/2	0.049
367/2/1	0.305	169/14ख	0.163
434/1	0.161	166/2, 167,	
563/1	0.555	168	0.890
563/2	0.484	169/15/1	
375/1	1.254	173	0.240
375/2	0.011	175	0.167
125/2	0.470	166/3	
186/4	0.157	169/16	0.780
125/4	0.100	171/1	
186/5	0.637	169/13	0.155
351/3	0.491	174/3	0.429
125/7	0.073	240/2	0.102
186/7	0.303	240/3	0.836
302/3/4	0.080	240/9	0.280
351/1	0.314	240/6	0.284
360/1	0.130	169/1	0.014
360/4	0.020	169/2	0.010
192	0.909	169/4क	0.007
262/4	0.229	169/4ख	0.007
319	0.042	169/5	0.014
322/3	0.615	169/6	0.014
367/2/2	0.322	169/7/2	0.007
213	0.073	169/7/1	0.007
328	0.209	169/8	0.014
333	0.428	169/9क	0.007
466/2	0.899	169/9ख	0.007
614	0.146	169/14क	0.014
165/2	0.400	169/10	0.014
248/2	0.800	169/11/2	0.010
362/1	0.303	169/11/1	0.011
391/1	0.345	169/12	0.028
443/2/1	0.300	169/15/2	0.052
165/4	0.533	174/1	1.369
248/3	0.900	176/2	0.157
362/3	0.328	176/3	0.088
166/1/1	0.145	258/2	0.303
166/4,	0.396	266/1	0.616
169/17, 171/2		304/1	0.460

(1)	(2)	(1)	(2)
372/1	0.157	233/2	0.921
374/2	0.199	282/2	0.421
583	0.021	204/1/5	0.260
602	1.314	204/1/1	0.554
176/5ख	0.053	201	0.200
178/5ख	0.444	204/1/4	0.522
250/1ख	0.105	204/2	0.010
291/1क	0.204	235/1/1	1.766
323/1क	0.319	235/1/3	1.442
355/2	0.231	235/2	0.324
423/1क	0.339	332/1/2	0.019
428/3	0.209	332/3	0.481
470/2	0.670	227/1	0.733
176/5क	0.052	373/2	0.157
178/5क	0.444	295/1	0.240
250/1क	0.104	229	0.52
291/1ख	0.204	409/1/1	0.316
323/1ख	0.318	409/1/3	0.230
355/3	0.230	283/3	0.220
423/1ख	0.549	344/1/3	0.067
618/1	0.773	378/1/1	0.303
176/8	0.523	378/1/5	0.170
372/2	0.470	393/1	0.230
604/1	0.209	394/1/1	0.031
613/1	0.127	394/1/5	0.019
617/2/2	0.382	526	0.800
180	0.544	283/1	0.219
160/1	0.460	344/1/1	0.066
140/2	0.021	378/1/3	0.272
186/3	0.421	378/1/4	0.151
157/1क	0.103	394/1/3	0.210
158/2	0.270	282/1	0.415
216	0.941	394/2	0.350
366/2	0.585	486/1	0.020
412/2	0.073	207/1	0.100
415/2	0.533	233/1	0.824
158/4	0.907	344/2	0.110
292/2	0.382	378/4	0.301
412/1	0.073	495	0.105
457/2/2, 458/2	0.068	567/1	0.623
207/2	0.268	378/2	0.394

(1)	(2)	(1)	(2)
231	0.700	606	0.491
283/2	0.219	613/2	0.125
344/2/1	0.066	271/1	1.506
378/1/2	0.219	452/2	0.071
378/1/6	0.191	271/2	0.209
393/2	0.188	272/1	0.209
394/1/2	0.070	272/2	1.386
394/1/4	0.025	275	0.982
235/1/2	1.766	277/1	3.386
237	0.899	277/2	0.011
238	0.648	280/3	0.250
330	0.052	287 पेकी	0.627
332/1/1	0.200	290/2	0.251
332/2	0.523	347/1/2	0.127
240/1	1.411	401/2	0.042
240/5	0.226	287/1क/1	0.609
240/7	0.454	287/1क/2	0.060
240/4	0.404	287/1ख	0.052
240/8	0.269	288/2	0.230
257	0.073	456/1	0.282
266/2	0.418	521/2/1	0.505
305/3	0.209	527/2/1	0.100
604/3	0.323	288/1	0.230
613/4	0.123	398	0.428
617/2/1	0.105	400	0.408
254	0.188	456/2	0.282
255/2	0.533	518	0.219
259/2	0.680	288/3	0.230
264	0.282	456/3	0.282
258/1	0.105	521/2/2	0.488
266/3	0.418	527/2/2	0.109
613/3	0.127	290/1	0.251
617/2/3	0.036	347/2	0.272
259/1	0.700	380/1	0.428
262/3	0.220	408	0.230
263	0.930	409/1/2	0.100
279	0.481	409/1/4	0.200
413/2	0.585	292/1	0.382
266/4	0.314	293/1	0.525
305/4	0.209	347/1/1	0.145
604/2	0.157	380/2/1	0.201

(1)	(2)	(1)	(2)
409/3/2	0.104	405/2	0.144
245	1.014	446/2ख/1	0.052
493	0.252	447/1क	0.031
496	0.439	466/1ख	0.120
564/1	0.836	466/1घ	0.102
247	1.045	412/5	0.350
314/3	0.450	412/4	0.695
348	0.300	418	0.596
345/2	0.199	421/1	0.621
244/1	0.700	430	0.356
303/1	0.324	433/1	2.519
491/1	0.449	505/1	3.233
352/1	0.450	508	0.105
352/2	0.459	421/2	0.790
353/1	0.172	431	0.292
519/1	0.580	433/2	0.209
521/1क	0.105	433/3	0.104
528/4	0.455	505/2	0.011
353/2	0.170	505/3	1.578
519/2	0.519	586	0.251
521/1ख	0.313	425/1/2	0.190
528/5	0.418	425/1/3	0.180
357/2	0.529	425/1/4	0.172
357/3	0.264	371	1.066
358/1/4	0.120	427	0.428
361	0.575	435	0.512
377/1	0.564	437/2	0.031
377/2	0.011	446/5	0.151
385	1.003	446/2क	0.314
387/1	0.367	457/2/1, 458/1	0.068
387/2	0.596	471/2	0.220
396/2	0.081	472/1	0.637
396/3	0.305	577/2	0.449
405/3	0.262	472/2	0.398
447/1ग	0.117	473/1	0.391
466/1क	0.444	517/2	0.078
405/1	0.137	570/2	0.298
446/2ख 2	0.053	570/3	0.200
447/1ख	0.030	576/3	0.415
447/2	0.011	577/1	0.721
466/1ग	0.222	595/1	0.677

(1)	(2)	(1)	(2)
473/2	0.345	307/6	0.160
517/3	0.062	442/1/2	0.580
571/1	0.400	442/1/6	0.220
576/2	0.612	442/1/7	0.250
597	0.031	468/1	0.074
475	0.572	469/1/1	0.481
504/1	0.753	307/3	0.530
504/3	0.314	307/5	0.120
516/1/1	0.110	442/1/4	0.115
516/1/2	0.120	442/2	0.011
517/1	0.069	465/2	0.105
571/3	0.365	467/1	0.167
576/1	0.237	467/2	0.209
595/2	0.640	468/2	0.074
566/3	0.183	469/1/2	0.198
566/1	0.387	469/2/1	0.292
566/2	0.183	308/2	0.105
568/2	0.021	381/1	0.795
570/4	0.279	357/1	0.264
570/1	0.263	381/1क	0.900
571/4	0.290	471/1	0.679
572/1क	0.180	308/1ख	0.084
580/1ख	0.199	381/1ख	0.553
572/1ख	0.186	354/2	0.507
580/1क	0.198	512	0.010
572/2/1	0.260	513/2/1	0.180
580/2/2	0.026	513/2/2	0.290
572/2/2	0.251	320/1	1.014
582/2/1	0.026	325/2	0.010
573	0.188	325/3	0.658
578	0.909	373/1	0.742
599	0.700	294/4	0.294
582/1	0.512	300/1	0.554
617/3	0.052	321/1	0.523
625/2	0.475	334	0.366
628/2	0.125	365/1	0.642
442/1/3/4	0.125	383/2	0.961
588/1	0.500	413/1/1	0.083
590/1	0.080	322/1	0.449
617/4/4	0.027	316/2/1	0.194
307/2	0.630	316/2/3	0.126



(1)	(2)	(1)	(2)
326/1	0.711	302/3/1	0.110
365/2	0.523	358/1/1	0.229
413/3	0.100	360/3	0.020
616	0.115	416/1	0.366
619/1	3.208	415/1	0.190
620	0.334	425/1/1	0.090
622	0.199	303/2/1	0.543
631	0.303	313/1	0.271
314/2	0.679	358/2/3	0.135
345/3	0.616	426/3/3	0.067
326/2	0.491	623	0.114
349/1	0.303	624/2	0.105
349/2	0.303	303/2/2	0.544
350	0.460	313/2	0.400
316/2/2	0.391	358/2/4	0.135
298/1	0.637	425/2/2	0.146
317/2	0.543	426/3/2	0.068
318/2	0.021	294/3	0.418
298/2	0.608	321/2	0.282
299/2	0.596	337	0.261
308/1क	0.167	365/3	0.653
382/1क	0.241	383/1	0.721
354/1	0.507	294/1	0.980
419/1	0.323	293/2	0.469
513/1	0.471	380/2/2	0.227
625/1	0.476	409/3/1	0.105
300/2	0.546	294/2	0.314
320/2	0.941	295/2	0.262
325/1	0.502	294/5	0.021
327	0.815	305/1	0.209
300/4	0.784	307/1	0.350
302/1/1	0.252	442/1/3/3	0.125
313/4	0.204	442/1/8	0.250
358/2/1	0.054	469/2/2/2	0.150
425/2/3	0.172	617/4/2	0.026
426/3/1	0.074	307/4/1	0.390
302/1/2	0.176	442/1/3/1	0.125
313/3	0.205	442/1/5	0.270
358/2/2	0.199	469/2/2/1	0.150
425/2/1	0.205	617/4/1	0.026
426/2	0.105	307/4/2	0.390

(1)	(2)	(1)	(2)
442/1/1	0.070	255/1	0.210
442/1/3/2	0.125	351/5/1	0.097
469/2/2/3	0.150	359/2/1	0.123
617/4/3	0.026	281/1/2	0.518
305/2	0.209	370/2	0.210
302/3/3	0.100	461/1/2	0.230
358/1/2	0.180	463/2	0.084
360/5	0.150	281/1/1	0.278
169/18	0.008	370/1	0.211
297/2	0.680	461/1/1	0.100
358/1/3/1	0.075	461/1/1/3	0.140
360/2/2	0.075	462/1	0.188
419/2/1	0.157	396/1	0.376
358/1/3/2	0.075	461/1/5	0.297
360/2/1	0.075	225	1.129
419/2/2	0.157	227/2	0.741
308/4/1	0.060	281/1/3	0.677
309/1	0.350	370/3	0.300
312/2	0.052	399	0.596
312/3	0.084	461/1/4	0.970
356/2	0.400	461/1/6	0.290
489/4	0.261	461/2	0.010
515/2	0.500	462/2	0.418
628/3	0.125	500	0.031
628/6	0.366	522	0.763
308/5	0.062	304/2	0.256
314/1	0.950	314/5	0.256
395	0.460	362/2	0.325
443/1	0.292	248/1	0.353
516/2/1	0.112	295/3	0.313
516/2/2	0.107	391/2	0.345
628/4	0.050	392	0.355
636	1.275	443/2/2	0.174
638	0.366	251/2/2	0.159
639	0.240	351/4/2/2	0.131
640	0.334	251/2/1	0.159
351/5/2	0.098	351/4/2	0.132
359/2/2	0.123	342/1	0.345
351/4/1	0.200	346/2	0.209
359/1	0.245	149/1 घ	0.205
251/1	0.476	353/3क/4	0.059

(1)	(2)	(1)	(2)
510/4	0.138	501/2/1	0.354
528/6 ख	0.255	146/1	1.740
149/1 क	0.205	149/2	0.815
353/3क/2	0.058	353/3ख	0.230
510/2	0.138	568/1	0.585
528/3क	0.220	569	0.251
251/2/3	0.159	102/1	1.020
351/4/2/3	0.132	280/1	0.450
149/1ख	0.205	176/6	
353/3क/3	0.058	178/2ख	0.793
510/3	0.138	179/1	
528/6क	0.255	250/2 ख	0.114
149/1ग	0.205	323/2 ख	0.230
353/3क/1	0.058	355/1 ख	0.253
510/1	0.276	423/2 ख	0.183
528/3ख	0.280	470/1 ख	0.344
146/2/1	0.425	424	0.084
316/1/2/2	0.150	178/2 क	0.189
457/1/2	0.031	250/2 क	0.116
459/2	0.204	323/2 क	0.230
146/2/2	0.425	355/1	0.123
150/2	0.022	423/2 क	0.283
316/1/2/1	0.150	470/1 क	0.231
457/1/1	0.031	281/2	0.418
459/1	0.204	311/1	0.151
146/3	0.448	356/1/1	0.150
176/4	0.679	489/1/1/2	0.061
316/1/1	0.202	515/1/3	0.182
104/1/3	0.332	311/3	0.150
285/2/3	0.168	356/1/3	0.150
390/1ख/1	0.193	489/1/1/1	0.061
390/2	0.010	515/2/2	0.181
5012/2	0.353	291/2	0.418
104/1/1	0.332	299/2	0.596
285/2/2	0.167	351/2	0.679
390/1ख/2	0.203	618/2	0.366
501/2/3	0.353	268	0.450
104/1/2	0.332	269/1	0.184
285/2/1	0.167	270/1	0.408
376/2	0.230	272/3/1	0.197

(1)	(2)	(1)	(2)
414/2	0.108	627/1	0.390
581/2	0.394	102/2	1.000
611/2	0.068	177/2	0.084
632	0.23	177/1	1.129
269/2	0.185	140/3	0.094
270/2	0.507	186/2	0.126
272/3/2	0.197	222	0.805
414/3	0.108	223	1.087
581/3	0.394	317/1	0.366
607	0.272	318/1	0.031
608	0.021	363	0.679
611/1	0.034	429/1	1.735
630	0.303	232/1	0.732
269/3	0.185	287/2	0.658
270/3	0.308	302/3/2	0.128
272/3/3	0.196	336/2	0.314
414/1	0.108	342/2	0.345
428/1	0.523	344/3	0.109
581/1	0.393	378/3	0.696
611/3	0.034	394/3	0.350
628/5	0.084	567/2	0.600
629	0.261	366/1	0.324
489/3/1	0.131	285/1	0.501
309/2	0.131	376/1	0.230
311/5	0.150	434/2	0.163
627/2/1	0.254	450	0.491
489/1/2	0.050	452/1	0.086
356/3/1	0.113	465/1	0.115
487/2/1	0.705	582/2	0.570
489/3/2	0.130	योग . .	<u>287.766</u>
308/4/2	0.034	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना (बांध) निर्माण से प्रभावित होने से.	
311/4	0.151	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय, कुक्षी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
356/3/2	0.113		
487/2/2	0.706		
489/1/3	0.040		
311/2	0.151		
356/1/2	0.150		
489/1/1/3	0.061		
515/1/1	0.182		
627/2/2	0.255		

क्र. 10108-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—बिरलाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल —77.528 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

डूब से प्रभावित  
रकबा (हे. में)

(1)

(2)

252	0.100
189	0.300
188/2 ख	0.080
191/1/1	0.180
91/1	0.060
88/1	0.130
188/1	0.159
180	0.676
63	0.690
179/1	0.250
86	0.460
87	0.042
88/2	0.947
90	0.366
82	0.282
110/2	0.021
110/4	0.060
110/7	0.076
74/4	0.723
77/1	0.440
118/1	0.350
119/1	0.038
121/1	0.762
92/1 क	0.107
100/2क	0.118
93	0.100
96/2	0.088
98/1/2	0.217

(1)

(2)

120/1/2	0.063
129/1	0.220
97	0.701
98/2	0.011
100/1	0.540
99/1/1	0.325
120/1/1	0.616
99/1/2ख	0.178
174/2	0.465
173/1/4	1.093
186	0.449
173/1/1	0.143
171/1/2	0.105
173/1/3	0.122
173/3	0.235
174/1	0.560
115/1	0.472
115/6	0.313
115/2	0.340
131/1/1 ग	0.073
115/3	0.219
115/4	0.150
115/5	0.313
115/7	0.326
116/1/4	0.210
117/3	0.960
123/1	0.556
123/4	0.557
124/1	0.026
123/2क	0.286
123/2ख	0.270
101/2/4	0.013
123/3/ख	0.205
105/3	0.388
125/3	0.950
138/1	0.025
125/4	0.897
138/4	0.025
139	0.063
126/2	0.051
126/4	0.042

(1)	(2)	(1)	(2)
127/1	0.199	130	0.063
127/5	0.366	131/1क	1.682
125/7	0.408	110/3/2	0.011
127/3	0.376	110/3/3	0.010
128/4	0.470	110/1	0.160
128/6	0.470	110/5	0.060
131/1ख	0.366	110/3/4	0.069
131/2	0.323	101/2/3	0.013
132	0.200	110/6	0.096
144/3	0.200	110/8	0.313
173/2	0.920	110/9	0.313
99/1क	0.182	111/1	1.536
129/2क	0.428	111/2	0.627
99/2	0.387	111/3	0.836
105/1	0.134	113	0.157
125/1	0.912	114/1	0.313
138/3	0.025	128/1	0.216
128/5	0.502	114/3	0.367
102/1	0.491	114/4	0.501
102/2	0.209	128/7	0.433
114/2	0.272	253	0.063
116/1/1	0.300	254/1	0.150
116/1/5	0.230	389	0.230
117/4	0.740	292	0.100
105/2	0.126	232	0.250
125/2	0.910	249	0.355
138/2	0.025	91/2	0.314
127/3	0.669	91/4	0.060
131/1ग/2	0.335	91/3	0.253
106/2	0.313	91/5	0.140
126/1	0.063	70/2	0.240
126/5	0.042	116/1/7	0.150
127/4	0.648	116/1/10	0.105
127/8	0.387	117/6	0.600
106/3	0.314	92/1 घ	0.107
126/3	0.063	100/2 क	0.117
127/2	0.439	80	0.857
127/6	0.815	97/2	0.449
109/1	0.198	79/1	0.430
109/2	0.147	94/5	0.540
		77/2	0.365

(1)	(2)	(1)	(2)
118/4	0.098	106/1/3	0.107
119/4	0.039	116/1/2/1	0.083
121/4	1.000	116/1/8/3	0.123
74/3	0.503	117/7/4	0.212
75	0.073	69	0.533
76	0.397	176/4	0.508
77/4	0.232	64	1.097
118/2	0.100	179/2 ग	0.355
119/2	0.020	179/2 ख	0.366
121/2	0.485	293	0.050
71	0.355	176/1	0.385
74/1	0.355	176/2	0.238
74/2	0.178	177/1	0.050
77/3	0.233	176/3	0.238
77/5	0.485	177/2	0.055
118/3	0.100	250	0.167
119/3	0.018	254/2	0.150
121/3	0.418	99/1 ग	0.183
72/2	0.300	193/1/1	0.200
110/10	0.023	233	0.100
116/1/6	0.140	234/3	0.094
116/1/9	0.160	234/2	0.042
117/1	0.200	391/1 क	0.332
117/5	0.400	65	2.090
72/1/1	0.174	179/2 क	0.262
103/3	0.040	110/3/1 ख	0.018
116/1/2/3	0.067	112	0.428
116/1/8/2	0.117	110/3/1 क	0.025
117/7/1	0.221	95	0.648
101/2/1	0.013	100/3	0.411
70/1	0.148	92/1 ग	0.107
116/1/3	1.100	100/2 ख	0.118
70/3/1	0.127	100/2 ग	0.118
103/1	0.040	92/1 ख	0.107
104/2	0.264	100/2 घ	0.117
116/1/2/2	0.083	81/1	0.700
116/1/8/4	0.123	120/2/1	0.262
117/7/3	0.194	129/3/2	0.231
70/3/2	0.103	96/1	0.058
103/4	0.037	98/1/1	0.390
104/1	0.144	120/2/2	0.261





(1)	(2)
50/2	0.905
50/5	1.096
66	0.077
62/3	0.853
62/4	0.116
62/5	0.146
64	0.061
68	1.092
59	0.040
52/2	0.871
58/3	0.832
58/5	0.916
55/4	0.989
56/2	0.275
52/1	1.024
51/4	0.157
55/1	0.148
55/3	0.513
62/1	0.847
70	0.344
72	0.445
58/4	0.916
51/1	1.000
47/1	1.082
47/4	0.220
43/1	1.837
46	0.202
47/2	0.572
47/3	0.809
43/2	0.243
48/1	0.475
58/1	0.290
67/3	0.040

योग . . . 40.402

क्र. 10118-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—कुक्षी  
(ग) ग्राम—कापसी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—154.842 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	टूब से प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
485/2	0.679
486/2	1.400
433/4	0.415
332/1	0.047
249/1	0.155
255/4	0.366
318/5	0.348
337/4	0.210
299/3/3	0.031
344/2/4	0.011
344/2/8	0.058
422/1	0.585
266/1	0.237
227	0.021
309/2	0.136
462	0.042
422/2	0.585
464	0.157
465	0.428
253/1	0.930
253/2 ख	0.345
255/2	0.408
299/1	0.125
344/4	0.272
488/1ख	0.165
488/6	0.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना (बांध) निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय, कुक्षी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
293/1	0.100	417/2	1.077
248/4	0.116	153/2	0.150
287	0.084	256/3	0.177
290/1/2	0.023	275	0.637
290/6	0.063	278/2	0.010
339/7	0.126	319/2	0.533
254/3	0.040	116/2	0.032
278/3	0.711	116/4	0.332
491	0.543	238/3	0.174
253/2 क	0.355	116/3	0.370
255/1	0.199	116/6	0.120
420	1.401	238/2	0.174
255/5	0.355	116/7	0.071
299/2	0.137	118/1	0.220
344/3	0.219	118/2	0.355
241	0.021	118/3	0.962
484	0.400	119/2	0.010
217	0.272	119/3	0.010
315/1 क	1.024	279	0.042
316	0.042	291	0.648
317	0.031	428/2	0.549
116/1	0.102	120	0.899
316/5	0.332	122	0.126
238/1	0.174	131	0.052
513/1	0.180	132	0.219
301/3	0.406	236	0.115
302/2	0.010	237	0.711
302/3	0.010	279/2	0.182
207	0.428	110	0.550
235/3	0.110	356/2	1.447
442/1	0.102	357/2	
505/4	0.255	121	0.293
114/1	0.224	123/1	0.030
251/1	0.265	258/1	0.011
252/4	0.066	259/1	0.185
442/2	0.273	281/5	0.069
505/2	0.288	306/11	0.041
114/3	0.202	359/3	0.162
251/2	0.270	364/3	0.114
252/3	0.088	135	0.073
448	0.240	416	0.240

(1)	(2)	(1)	(2)
417/1	1.056	292	0.335
137/1	0.324	427/2	0.010
326/2	0.303	429	1.307
327	0.021	294	0.031
476	2.279	270/2	0.105
256/2	0.178	442/3	0.310
319/3	0.554	505/3	0.255
139	0.220	114/2	0.202
329/1	0.418	251/3	0.286
150/1	0.100	252/2	0.093
323/1	0.092	324/3	0.157
325	0.021	324/6	0.178
329/2	0.178	490/1	0.627
150/2	0.100	490/3	0.327
154/1	0.184	490/7	0.085
154/3	0.160	234/5	0.093
243/2	0.287	257/8	0.084
247/2	0.227	270/7	0.041
274/3	0.050	272/7	0.096
331/3	0.238	432	0.899
431	0.711	436/2	1.083
154/2	0.152	490/5	0.030
154/4	0.168	478/1	0.610
243/4	0.075	470/1	0.290
247/5	0.137	253/3	0.182
477/1	0.470	333/1	0.393
477/4	0.175	336/2	0.382
257/4	0.155	425/1	0.220
331/5	0.081	425/4	0.303
154/5	0.600	259/7	0.196
302/4	0.223	281/7	0.095
331/1		306/8	0.036
210	0.031	359/2	0.196
213	0.961	359/4	0.256
215	0.130	364/6	0.182
245	0.596	281/6	0.061
246	0.167	259/4	0.207
279/1	1.157	306/10	0.036
350	0.857	353	0.052
356/1	0.643	354	0.042
357/1		355/2	0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
364/4	0.229	254/5	0.041
321/1	0.146	290/3	0.075
328/1	0.225	339/6	0.125
115	0.031	123/2/4	0.050
323/2	0.190	443	0.334
259/2	0.250	444	0.115
321/2	0.147	500	0.084
328/2	0.224	315/2	0.052
338/2	0.157	315/3	0.010
226	0.042	346/2	0.272
265/2	0.146	347/1	0.031
310/1	0.076	317/2	0.063
310/3	0.063	306/3	0.080
478/5	0.540	501	0.188
425/2	0.300	438	1.171
425/3	0.265	488/1 क	0.170
479/2	0.368	488/10	0.260
479/2	0.184	290/1/3	0.023
332/2	0.047	290/2	0.090
333/2	0.380	248/5	0.117
336/1	0.381	254/4	0.041
506	0.763	293/3	0.104
274/4	1.680	339/5	0.125
338/3	0.105	507/2	0.700
229/3	0.054	513/2	0.144
283/3	0.183	514	0.052
261/2	0.146	515	0.314
468/1	0.396	235/2	0.125
234/2	0.093	240/1	0.020
257/5	0.085	301/2	0.278
272/4	0.096	341	0.596
516/1	0.120	219/2	0.020
244/6	0.172	221	0.052
318/2ग	0.016	264/3	0.251
318/6	0.186	270/5	0.272
496	0.105	234/4	0.094
497/1	1.050	272/6	0.097
270/6	0.040	257/7	0.085
270/8	0.021	234/3	0.093
488/1 ग	0.150	257/3	0.084
488/7	0.262	272/5	0.094
290/1/1	0.023	259/5	0.216
293/2	0.105	281/1	0.075
248/1	0.116	306/2	0.036

(1)	(2)	(1)	(2)
359/1	0.223	543	2.801
359/5	0.136	477/2	0.375
361	0.021	482	0.167
364/7	0.200	483	0.137
248/6	0.115	477/5	0.152
254/6	0.041	243/5	0.112
293/4	0.105	247/3	0.065
339/2	0.125	257/3	0.155
488/1घ	0.160	331/2	0.074
488/9	0.260	346/4	0.086
290/1/5	0.023	346/5	0.031
290/4	0.075	306/5	0.080
228	0.021	447/2	0.543
239/1	0.260	478/2	0.841
269	0.806	255/6	0.172
283/1	0.170	334/2	0.155
509/2	1.505	334/1	0.217
467	0.209	249/4	0.324
439/1	0.379	318/3	0.228
480/2	0.451	337/1	0.196
488/3	0.100	299/3/2	0.031
488/5	0.456	344/2/2	0.011
335/1	0.250	344/2/6	0.052
423/2	0.419	433/3	0.520
248/2	0.290	426/1	0.226
254/1	0.204	315/1 ग	0.449
339/1	0.230	225	0.491
509/1	0.941	305	0.585
552	0.690	99	0.435
553/3	0.748	306/7	0.068
510/1	4.771	307	0.042
266/2	0.150	308	0.334
309/1	0.136	503	0.502
488/1 ङ	0.170	112	0.533
488/8	0.260	252/1	0.149
254/2	0.041	282	0.324
290/1/4	0.022	285	0.533
200/5	0.074	286	0.219
248/7	0.116	249/3	0.208
293/5	0.098	337/3	0.210
295/2	0.010	229/3/1	0.032
339/4	0.126	318/1	0.249
497/2	1.061	433/2	0.347
553/2	0.821		

(1)	(2)	(1)	(2)
344/2/7	0.052	123/3	0.030
141	0.200	259/6	0.185
426/3	0.312	281/4	0.069
344/2/3	0.011	306/9	0.036
242/3	0.576	355/4	0.088
247/1	0.422	364/5	0.247
274/1	0.065	218	0.031
271/1	0.160	264/2	0.250
272/2		219/1	0.105
265/1	0.147	263	0.021
267	0.136	264/1	0.219
310/2	0.070	270/1	0.044
261/1	0.179	270/3	0.094
262	0.021	222/1	0.070
244/2	0.130	223/2	0.115
244/5	0.042	223/4	0.050
318/7	0.186	229/5	0.085
318/2 ख	0.016	283/2	0.090
123/2/2	0.030	233	0.021
223/2	0.115	234/1	0.093
283/4	0.090	257/1	0.080
247/4	0.048	272/3	0.097
485/1	0.063	326/7	0.293
490/2	0.753	114/4	0.218
490/6	0.366	442/4	0.110
324/1	0.146	505/1	0.205
324/4	0.188	251/4	0.298
516/2	0.120	252/5	0.064
244/4	0.042	288	0.031
244/1	0.126	270/4	0.366
239	0.031	111/2	0.548
318/2क	0.020	111/1	0.831
318/8	0.182	योग . .	<u>154.842</u>
542	1.800		
553/1	2.100	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना (बांध) निर्माण से प्रभावित होने से.
123/2/1	0.030	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय, कुशी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
259/3	0.109		
281/2	0.261		
306/1	0.185		
355/1	0.209		
363	0.157		
364/1	1.181		
365/2	0.042		
123/2/3	0.030		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. एम. शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 जून 2012

क्र. 1835-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) नगर/ग्राम—नौबा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.083 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
116/1	0.083
116/2	
	<u>0.083</u>

मध्यप्रदेश शासन

निल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बाणसागर परियोजना क्योटी मुख्य नहर की जरहा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1837-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित

किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) नगर/ग्राम—जरहा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.645 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
75	0.042
74	0.084
73/1	0.028
73/2	
72/1	
72/2	0.160
72/3	
72/4	
71/1 क	
71/1 ख	
71/1 ग	0.109
71/1 घ	
71/2	
88/1	
88/2	0.032
88/3	
88/4	
87/1	
87/2	0.039
87/3	
88/4	
82	0.041
83	0.052
81/1	0.039
111/1	0.077
113	0.250
169/1	
169/2	0.008
169/3	
170/1	
170/2	0.056
170/3	

(1)	(2)	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
168/1		
168/2	0.032	
168/3		
168/4		
150/1		(1) भूमि का वर्णन—
150/2	0.064	(क) जिला—रीवा
150/3		(ख) तहसील—हुजूर
150/4		(ग) नगर/ग्राम—उकठी उर्फ हरिहरपुर
151/1		(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.375 हेक्टर.
151/2	0.224	
151/3		
151/4		खसरा नं. रकबा
152/1		(हे. में)
152/2	0.026	(1) (2)
153/3		207 0.375
152/4		
156/1		योग. . 0.375
156/2	0.074	
156/3		
155/1 क		
155/1 ख		
155/1 ग	0.208	
155/1 घ		
155/1 ङ		
155/1 च		
155/1 छ		
155/1 ज		
155/2		
	कुल	1.645

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) नगर/ग्राम—उकठी उर्फ हरिहरपुर  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.375 हेक्टर.

खसरा नं. रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

207 0.375

योग. . 0.375

क्र. 1867-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) नगर/ग्राम—इटौरा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.182 हेक्टर.

खसरा नं. रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

83 0.011

82 0.075

81 0.054

98 0.042

योग. . 0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की जरहा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 जून 2012

क्र. 1865-भू-अर्जन-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894



(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब-माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	476	0.234
	471	0.104
	467	0.051
	466	0.117
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	468	0.010
	470	0.032
	469/1ख	0.008
	455	0.130
क्र. 1869-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	454	0.106
	445	0.084
	453	0.019
	429	0.060
	452	0.159
	436	0.048
	435/2	0.018
	434	0.017
(1) भूमि का वर्णन—	433	0.004
(क) जिला—रीवा	521/3	0.042
(ख) तहसील—हुजूर	522	0.268
(ग) नगर/ग्राम—उकठी उर्फ हरिहरपुर-45		योग. . 2.903
(घ) क्षेत्रफल लगभग —2.903 हेक्टर.		

### अनुसूची

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
520/1	0.180
520/2	0.013
519	0.132
516	0.063
515	0.054
514	0.090
513/1	0.027
513/3	0.030
513/2	0.027
488/1	0.090
487	0.036
486	0.204
483	0.066
482	0.054
481	0.192
480	0.134

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की बोदा वितरक नहर  
की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब-माइनर के अन्तर्गत  
आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के  
अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन  
एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में  
किया जा सकता है.

क्र. 1871-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का  
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित  
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक  
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894  
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित  
किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु  
आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—दुबहा	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.702 हेक्टेयर.	479	0.016
खसरा नं.	478	0.021
	रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
30/1	0.276	490
30/2	0.006	491
29/2	0.108	492
28/3	0.084	493
28/2	0.036	476
28/1	0.192	442
	योग .	441
	<u>0.702</u>	439
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—	496	0.020
बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की बोदा वितरक नहर	497	0.005
की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब-माइनर के अन्तर्गत	438	0.003
आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के	437	0.035
अर्जन हेतु.	437	0.058
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन	419	0.067
एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में	420	0.074
किया जा सकता है.	422	0.091
	285	0.008
	363	0.031
	362	0.072
	360	0.084
क्र. 1873-भू-अर्जन-20.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का	359	0.182
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित	361	0.015
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक	358	0.048
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	357	0.035
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित	352	0.070
किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु	353	0.009
आवश्यकता है :-	354	0.086
	355	0.029
	356	0.042
	347	0.076
(1) भूमि का वर्णन—	346	0.097
(क) जिला—रीवा	348	0.006
(ख) तहसील—हुजूर	27	0.049
(ग) ग्राम—टिकुरी 225	28	0.004
(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.801 हेक्टर.	26	0.097
खसरा नं.	340	0.032
	(हे. में)	
(1)	(2)	
483	0.032	411
487	0.032	0.007
486	0.002	योग .
485	0.036	<u>1.801</u>
484	0.016	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—		
बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की बोदा वितरक नहर		
की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब-माइनर के अन्तर्गत		
आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के		
अर्जन हेतु.		

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्र. 1876-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) नगर/ग्राम—झिरिया  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.890 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
50/1	0.052
51/1	0.524
50/2	0.029
51/2	0.285
योग .	0.890

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की ग्राम-झिरिया के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1878-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा

- (ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) नगर/ग्राम—पड़री पवाई  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.436 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2117	0.140
2119	0.154
2120	0.142
योग .	0.436

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की ग्राम-पड़री पवाई के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1880-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) नगर/ग्राम—डोल कोठार  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —4.668 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
168	0.140
174	0.038
175	0.029
176	0.072
206	0.128
207	0.016
208	0.048
218	0.052
220	0.128



- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की सिरमौर वितरक  
नहर की ग्राम-भेड़रहा 423 के अन्तर्गत आने वाले निजी/  
शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन  
एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में  
किया जा सकता है.

क्र. 1884-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात  
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में  
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की  
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन  
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,  
इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित  
भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) नगर/ग्राम—भेड़रहा कोठार  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.468 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
47	0.192
50	0.096
51	0.180
योग .	<u>0.468</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की सिरमौर वितरक  
नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम-  
भेड़रहा कोठार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर  
स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन  
एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में  
किया जा सकता है.

क्र. 1886-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात  
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में  
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की  
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन  
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित  
भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) नगर/ग्राम—डीही पैपखार  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.536 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	0.092
3	0.092
6	0.020
7	0.116
10	0.036
46	0.025
47	0.010
55	0.040
58	0.108
59	0.103
60	0.027
62	0.206
78	0.045
79	0.045
80	0.061
81	0.018
82	0.293
91	0.137
101	0.012
योग .	<u>1.486</u>

#### शासकीय

12	0.014
13	0.036
योग .	<u>0.050</u>
महायोग	<u>1.536</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की सिरमौर वितरक  
नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम-  
डीही पैपखार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर  
स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	(1) 497	(2) 0.026
	योग .	<u>2.181</u>

क्र. 1888-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) नगर/ग्राम—बदरांव वृत्त  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —2.232 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
07	0.256
31	0.096
32	0.058
33	0.045
36	0.051
37	0.045
39	0.192
53	0.128
106	0.243
109	0.096
111	0.224
472	0.022
473	0.058
474	0.077
475	0.160
477	0.064
478	0.032
485	0.064
486	0.006
487	0.011
488	0.058
489	0.022
491	0.064
493	0.083

### शासकीय

06	0.019
110	0.032
योग .	<u>0.051</u>
महायोग .	<u>2.232</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम-बदरांव वृत्त में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1890-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) नगर/ग्राम—मऊ पवाई  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —4.086 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
80	0.026
81	0.006
84	0.008
86	0.027
87	0.032
88	0.064
92	0.006
101	0.072

(1)	(2)	(1)	(2)
102	0.088	520	0.110
103	0.026	521	0.015
104	0.096	523	0.102
105	0.072	524	0.097
107	0.005	833	0.020
420	0.211	834	0.032
434	0.008	839	0.022
444	0.038	859	0.004
445	0.038	860	0.064
453	0.102	861	0.102
454	0.006	862	0.070
486	0.128	869	0.006
563	0.178	870	0.020
564	0.008	871	0.051
569	0.064	872	0.020
577	0.048	873	0.028
609	0.140	876	0.083
610	0.122	889	0.004
611	0.122	938	0.044
624	0.043		योग. . 3.946
625	0.043		
788	0.016		
796	0.067		
798	0.014	89	0.130
805	0.090	866	0.010
817	0.002		योग. . 0.140
819	0.038		महायोग . . 4.086
820	0.032		
821	0.016		
178	0.115		
182	0.170		
311	0.075		
312	0.070		
313	0.024		
314	0.012		
366	0.077		
368	0.090		
369	0.085		
371	0.005		
509	0.058		
510	0.045		
511	0.051		
518	0.060		
519	0.013		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक  
नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम-  
मऊ पवाई में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित  
संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन  
एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में  
देखा जा सकता है.

क्र. 1892-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात  
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में  
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की  
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन  
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) नगर/ग्राम—आमा नौढ़िया कोठार  
(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.332 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
55	0.064
54	0.064
50+51	0.064
42	0.077
40	0.064
47	0.141
32	0.051
29	0.064
27	0.077
28	0.045
20	0.083
17	0.141
16	0.045
15	0.051
12	0.032
140	0.006
144	0.045
148	0.064
147	0.141
योग .	<u>1.319</u>
<b>शासकीय</b>	
18	0.013
महायोग .	<u>1.332</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम—  
आमा नौढ़िया कोठार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1894-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) नगर/ग्राम—महरी कोठार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.511 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
50	0.096
51	0.064
54	0.083
59	0.108
60	0.016
61	0.004
62	0.028
63	0.068
69	0.150
70	0.010
188	0.007
192	0.057
194	0.032
198	0.096
201	0.070
203	0.070
213	0.096
214	0.006
215	0.218
266	0.064
267	0.064
272	0.128
273	0.096
277	0.160
279	0.064
280	0.024
283	0.024
284	0.048



(1)	(2)	(1)	(2)
285	0.048	982	0.012
287	0.096	1012	0.012
291	0.032	1013	0.056
296	0.147	1016	0.112
297	0.128	1017	0.009
325	0.096	1047	0.005
360	0.007	1048	0.016
	योग . . . 2.505	1049	0.003
	<b>शासकीय</b>	1052	0.036
		1094	0.027
199	0.006	1095	0.058
	कुल योग . . . 0.006	1104	0.240
	महायोग . . . 2.511	1105	0.012
		1109	0.042
		1110	0.102
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के डोल माइनर एवं सबमाइनर के अंतर्गत ग्राम महरी कोठार में आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		1112	0.096
		1113	0.128
		1177	0.032
		योग . . .	1.127
		मध्यप्रदेश शासन	निल

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कुल योग . . . 1.127

क्र. 1896-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) नगर/ग्राम—दुलहरा पवाई  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.127 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
976	0.033
981	0.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 जुलाई 2012

पत्र क्र. 1898-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्यौंथर

(ग) नगर/ग्राम—भगवानपुर	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.080 हेक्टेयर.		
खसरा क्र.	अर्जित रकबा	
	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
279/2	0.036	
280	0.034	
285	0.010	
योग . .	<u>0.080</u>	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.		
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
शाजापुर, दिनांक 2 जुलाई 2012		
क्र. भू-अर्जन-2012-201.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन		
(क) जिला—शाजापुर		
(ख) तहसील—सुसनेर		
(ग) ग्राम—सारसी		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—55.17 हेक्टेयर.		
खसरा/सर्वे नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल	
	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
1093	1.15	
1096	1.04	

(1)	(2)	(ग) ग्राम—बडिया	(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.28 हेक्टेयर.
1380	0.10	खसरा/सर्वे नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1376	0.20	(1)	(2)
1386	0.72	5	0.45
1133	0.20	4	0.05
1132	0.50	29	0.40
1131	0.60	16	0.10
1130	0.80	17	0.08
1127/2	1.00	27	0.56
1157	0.30	28	0.01
1150	0.13	6	0.90
1125/2	1.00	7	0.31
1125/3	1.00	8	0.04
<b>शासकीय भूमि</b>		9	0.08
1103	0.29	10	0.06
1105	7.35	18	0.10
1125/1	1.38	15	0.04
1146	1.58	23	0.05
1147	3.66	24	0.05
1148	0.15	26	0.20
1149	0.60	35	0.94
1126	0.20	38	0.46
1145	0.50	158	0.29
1162	0.50		
<b>कुल योग . . . 55.17</b>			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कीटखेड़ी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बावत्.

### शासकीय भूमि

(3) भूमि के नक्शा (प्लान)का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-203.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला—शाजापुर

(ख) तहसील—सुसनेर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कीटखेड़ी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बावत्.

1	2.75
2	0.40
3	0.04
30	0.07
31	0.16
33	0.18
32	0.10
34	1.00
169	0.50
248	0.40
255	0.51
<b>योग . . . 11.28</b>	



(1)	(2)	(1)	(2)
607	0.08	678	0.02
608	0.09	679	0.05
609	0.03	681	0.22
610	0.11	682	0.06
611	0.11	683	0.09
612	0.06	684	0.17
613	0.07	685	0.13
615	0.17	686	0.04
616	0.17	688	0.05
617	0.24	689	0.02
618	0.30	691	0.19
619	0.07	695	0.08
622	0.08	697	0.31
624	0.04	698	0.35
626	0.05	702	0.07
627	0.05	703	0.07
628	0.02	704	0.05
629	0.04	705	0.06
630	0.12	706	0.04
631	0.15	707	0.08
634	0.19	708	0.15
635	0.06	709	0.10
636	0.01	710	0.15
637	0.04	711	0.09
638	0.04	712	0.09
639	0.05	714	0.09
640	0.05	715	0.11
647	0.05	716	0.04
648	0.05	717	0.05
651	0.05	719	0.08
652	0.04	720	0.08
653	0.05	722	0.07
655	0.08	723	0.04
656	0.05	724	0.04
661	0.24	726	0.15
662	0.11	727	0.06
663	0.70	728	0.05
666	0.03	729	0.04
670	0.09	730	0.08
672	0.16	735	0.04
674	0.02	736	0.04
675	0.02	737	0.03
676	0.04	738	0.02
677	0.20	747	0.18

(1)	(2)	(1)	(2)
758	0.45	173	0.26
759	0.20	174	0.10
763	0.21	175	0.10
770	0.58	176	0.16
771	0.32	177	0.31
772	0.20	178	0.22
773	1.25	179	0.13
774	0.10	161	0.50
781	0.35	162	0.30
783	0.27	158	0.61
784	0.08	95	0.56
786	0.07	96	0.55
906	0.30	97	0.97
907	0.30	98	0.90
909	1.00	99	0.97
913	0.62	100	0.40
915	0.41	101	0.78
916	0.34	102	0.55
917	0.40	650	0.05
918	0.40	654	0.90
919	0.17	657	0.05
920	0.17	658	0.07
922	0.30	660	0.06
923	1.01	673	0.06
924	0.95	734	0.82
925	0.36	538	0.08
928	0.22	699	0.60
929	0.98	700	0.03
930	0.14	713	0.09
932	0.21	731	0.03
933	0.14	732	0.01
934	0.26	733	0.01
935	0.31	489	0.30
936	0.31	490	0.05
937	0.17	791	0.55
938	0.26	926	0.40
940	0.20	927	0.62
941	0.18	939	0.20
942	0.17	908	0.60
943	0.25	910	0.88
944	0.41	914	1.05
170	0.10	142	0.60
171	0.27	143	0.42
172	0.20	145	0.13

146	0.27	904	0.48
148	0.45	911	0.23
149	0.44	527	1.00
150	0.30	530	0.62
157	1.04	730	0.31
357	0.54	336	1.25
358	0.50	104	0.30
360	0.30	105	0.40
362	0.23	108	0.45
366	0.12	109	0.54
363	0.25	110	0.60
373	0.18	114	0.85
375	0.10	354	0.90
378	0.18	361	1.14
379	0.18	575	0.51
380	0.30	584	0.10
478	0.10	644	0.04
479	0.25	649	0.05
480	0.65	687	0.08
481	0.57	690	0.11
482	0.47	692	0.09
483	0.54	693	0.09
491	0.78	694	0.07
536	0.50	789	0.07
543	0.03	797	0.67
544	0.34	921	0.20
545	0.25		
778	0.20		
779	0.20		
780	0.42	167	1.23
782	0.20	168	0.25
785	0.30	337	6.64
787	0.18	338	0.14
790	0.48	339	4.55
792	0.45	343/4	0.19
793	0.27	344	1.30
794	0.28	352	0.65
795	0.33	531	0.57
818	0.12	540	0.17
819	0.12	547	0.80
820	0.11	560	0.22
822	0.12	561	0.25
893	0.15	562	0.02
894	1.30	564	0.14
903	0.60	565	0.15

## शासकीय भूमि

(1)	(2)	(1)	(2)
566	0.08	743	0.02
567	0.04	744	0.03
568	0.04	745	0.04
569	0.02	746	0.01
570	0.04	747	0.18
571	0.05	748	0.17
572	0.96	749	0.16
573	0.30	750	0.14
574	0.40	751	0.06
576	0.83	485	1.50
577/2	2.00	486	0.96
579	0.04	488	0.43
594	0.27	532	0.14
596	0.05	533	0.02
600	0.01	535	0.04
601	0.12	336	5.80
605	0.06	578	0.29
606	0.04	551	0.09
614	0.06	546	0.20
620	0.17	563	0.02
621	0.07	528	0.47
623	0.12	659	0.06
625	0.08	665	0.10
632	0.06	734	0.82
633	0.05	753	0.03
641	0.16	755	0.15
642	0.16	752	0.08
643	0.04	754	0.50
646	0.03	756	0.20
664	0.20	757	0.77
667	0.03	760	0.10
668	0.01	761	0.16
669	0.09	762/3	0.73
671	0.06	732/2	0.50
680	0.06	762/1	0.50
696	0.07	764	0.30
701	0.13	765	0.01
718	0.16	766/1	0.62
721	0.10	766/2	0.50
725	0.04	767	2.00
739	0.02	768	0.06
740	1.05	769	0.40
741	0.10	775	0.34
742	0.02	776	1.08



(1)	(2)	खसरा/सर्वे नंबर (1)	अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
777	0.13		
931	0.19		
945	6.65	5	1.70
541	0.90	8	1.90
542	2.20	9	1.90
912	0.05	10	1.90
141	0.22	11	0.96
537	0.05	13	1.25
492	0.11	14	0.96
840	0.20	15	0.82
902	0.05	17	1.04
336/1	1.00	18	0.43
336/2	3.55	19	0.51
115	0.32	20	1.04
528	0.47	21	1.69
583	0.03	22	0.70
645	0.06	24	0.90
905	0.15	26	1.11
कुल . .	<u>158.84</u>	28	0.33
		29	0.20
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कीटखेडी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत,		30	0.21
		31	0.31
		32	0.92
		33	0.14
(3) भूमि के नक्शा (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.		34	0.09
		35	0.40
		36	0.39
		37	0.39
क्र. भू-अर्जन-2012-207.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		38	0.39
		39	0.39
		40	0.39
		47	1.94
		48	0.74
		49	0.89
		50	0.83
		52/1	0.30
		52/2	0.30
		55	0.36
(1) भूमि का वर्णन—		56	0.77
(क) जिला—शाजापुर		57	0.33
(ख) तहसील—सुसनेर		58	0.32
(ग) ग्राम—खैराना		59	1.31
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 304.37 हेक्टर.		60	0.63
		61	2.05

(1)	(2)	(1)	(2)
62	1.00	118	0.31
63	0.54	119	0.56
64	1.23	120	0.88
65	0.33	121	1.66
66	0.33	122	1.04
67	0.50	123	1.08
68	0.42	124	0.97
72	1.33	125	0.59
75	0.68	126	1.29
76	0.68	127	1.07
78	1.10	128	0.69
79	1.10	129	1.39
80	0.69	130	0.45
81	0.61	132	0.46
82	1.10	133	0.32
83	0.91	134	0.10
84	4.00	135	0.55
88	0.85	136	0.28
91	0.68	137	0.12
93	0.23	138	0.73
94	0.25	139	1.02
95	0.21	140	1.59
96	0.50	141	0.50
97	0.14	142	0.51
98	0.12	143	1.36
99	0.18	144	0.42
100	0.12	145	0.36
101	0.22	146	0.52
102	0.09	147	0.44
103	0.09	150	0.45
104	0.03	151	0.86
105	0.33	152	1.92
106	0.21	153	1.71
107	0.44	154	1.06
108	0.14	155	1.42
109	0.27	156	1.09
110	0.76	157	1.00
111	0.08	158	1.01
112	0.73	159	0.29
113	0.72	160	0.30
114	0.25	161	0.70
115	0.47	162	0.11
116	0.14	163	0.16
117	0.46	164	0.15
		165	0.27

(1)	(2)	(1)	(2)
166	0.27	213	0.11
167	0.42	214	0.06
168	0.60	215	0.22
169	0.15	218	0.40
170	0.30	219	0.19
171	0.05	220	0.40
172	0.42	221	0.16
173	0.07	223	0.16
174	0.06	225	0.51
175	0.06	226	0.24
176	0.06	227	0.26
177	0.02	228	0.11
178	0.35	229	0.11
179	0.10	230	0.03
180	0.11	231	0.03
182	0.12	232	0.29
183	0.08	233	0.20
184	0.23	234	0.14
186	0.41	235	0.09
187	0.42	236	0.10
188	0.05	237	0.11
190	0.46	238	0.23
191	0.16	239	0.10
192	0.15	241	0.16
193	0.15	243	0.11
194	0.15	246	0.12
195	0.48	247	0.18
196	0.27	248	0.26
197	0.18	249	0.07
198	0.17	250	0.32
199	0.17	251	0.10
200	0.16	252	0.09
201	0.13	253	0.05
202	0.27	254	0.33
203	0.42	255	0.17
204	0.09	256	0.14
205	0.05	257	0.14
206	0.20	258	0.27
207	0.08	259	0.27
208	0.07	260	0.62
209	0.14	263	0.11
210	0.03	262	0.59
211	0.04	268	0.05
212	0.03	276	0.17

(1)	(2)	(1)	(2)
277	0.27	560	0.25
463	0.16	561	0.25
464	0.27	562	0.22
465	0.12	563	0.20
482	0.17	564	0.33
505	0.19	565	0.24
506	0.24	566	0.36
507	0.29	568	0.75
509	0.08	569	0.49
510	0.08	570	0.17
511	0.14	571	0.16
514	0.01	572	0.21
515	0.65	573	0.79
516	0.24	574	0.49
517	0.17	575	0.51
518	0.17	577	0.42
520	0.12	578	0.77
521	0.12	579	0.27
523	0.16	580	0.56
524	0.26	582	0.66
525	0.10	583	0.35
526	0.10	584	0.08
527	0.05	585	0.12
528	0.07	586	0.32
530	0.23	588	0.16
531	0.05	589	0.17
532	0.06	590	0.30
533	0.13	592	0.16
534	0.02	593	0.16
537	0.27	594	0.07
540	0.18	595	0.18
542	0.48	596	0.07
543	0.14	597	0.15
545	0.24	598	0.11
546	0.14	599	0.65
547	0.17	601	0.09
548	0.17	602	0.16
550	0.01	603	0.35
551	0.15	604	0.21
553	0.15	605	0.15
554	0.21	606	0.49
556	0.19	607	0.36
557	0.18	608	0.24
559	0.63	609	0.33

(1)	(2)	(1)	(2)
610	0.47	673	0.11
611	0.66	674	0.40
613	0.92	676	0.27
615	0.23	677	0.32
616	0.29	678	0.06
619	0.30	679	0.08
620	0.55	680	0.16
621	0.03	681	0.35
622	0.15	682	0.19
623	0.14	684	0.14
627	0.31	686	0.12
628	0.44	687	0.08
629	0.28	688	0.02
630	0.21	689	0.39
631	0.21	694	0.10
632	0.52	696	0.33
633	0.05	702	0.06
634	0.06	703	0.06
636	0.44	704	0.11
638	0.41	706	0.08
639	0.36	707	0.10
640	1.85	716	0.02
641	0.07	717	0.01
642	0.28	719	0.22
643	0.62	725	0.66
645	0.20	726	0.20
646	0.27	727	0.27
648	0.15	728	0.34
650	0.16	730	0.18
651	0.23	731	0.30
652	0.18	732	0.07
654	0.26	733	0.12
655	0.14	734	0.12
658	0.26	735	0.07
659	0.18	739	0.13
660	0.05	743	0.02
661	0.04	745	0.13
662	0.21	746	0.14
663	0.03	747	0.09
665	0.31	748	0.13
667	0.03	749	0.16
668	0.10	769	0.58
670	0.11	795	1.67
671	0.09	796	0.74
672	0.10		

(1)	(2)	(1)	(2)
797	0.94	759	0.38
805	0.47	790	0.30
810	0.37	791	0.10
820	0.27	803	0.30
859	0.32	821	1.30
860	0.38	853	0.65
863	0.65	855	0.74
864	0.32	856	0.06
865	1.35	857	0.07
866	0.21	858	0.06
867	0.14	861	0.27
872	0.07	862	0.33
873	0.03	868	0.45
1001	0.30	871	0.06
1003	0.08	874	0.06
1004	0.05	466	0.05
1005	0.05	467	0.35
1007	0.12	497	0.04
85	2.00	700	0.06
86	1.00	755	0.05
89	0.48	757	0.05
92	2.50	761	1.44
269	0.27	763	1.00
270	0.11	764	2.60
275	1.45	766	1.00
278	2.86	767	0.85
288	0.58	768	0.40
290	1.25	778	0.95
326	0.22	783	0.30
328	0.08	784	0.80
329	0.08	785	0.25
330	0.07	786	0.20
331	0.16	787	0.10
469	0.30	788	0.15
504	0.38	800	0.18
496	0.21	802	0.15
741	0.35	806	0.20
751	1.04		

(1)	(2)	(1)	(2)
823	0.35	149	0.71
842	0.28	181	0.13
869	0.04	185	0.08
877	0.10	189	0.05
878	0.10	216	0.15
875	0.10	217	0.04
1190	0.32	222	0.05
1191	0.20	224	0.20
1223	0.20	240	0.09
1226	1.50	242	0.09
1295	0.88	244	0.05
3 एम.	0.40	245	0.02
3 एम.	0.40	264	0.09
		265	0.18
शासकीय भूमि		266	0.09
6	0.20	267	0.10
7	6.95	269	0.27
12	0.24	281	0.28
16	0.32	289	0.27
23	0.19	468	0.14
25	0.05	508	0.05
27	0.52	512	0.02
47	19.53	513	0.06
41	0.29	519	0.07
42	0.89	529	0.02
46	0.91	535	0.31
51	0.31	536	0.28
53	0.78	538	0.16
54	0.35	539	0.41
69	0.20	541	0.04
70	0.26	544	0.07
71	0.20	549	0.08
73	0.75	552	0.04
74	0.32	555	0.06
77	0.43	558	0.06
131	0.20	567	1.13
141	0.43	576	6.34
148	0.60	581	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
587	0.04	744	0.02
591	0.10	792	0.66
600	0.06	794	0.39
612	0.02	798	0.56
614	0.06	804	0.17
617	0.03	817	0.44
618	0.10	818	0.05
624	0.04	819	0.05
625	0.05	851	0.56
626	0.10	1002	0.05
635	0.13	1006	0.06
637	0.08	1008	0.10
644	0.21	43	2.92
647	0.15	44	0.23
649	0.02	45	1.95
653	0.05	90	2.05
656	0.14	261	0.12
657	0.18	271	0.34
664	0.04	272	0.08
666	0.02	273	0.10
669	0.16	274	0.40
675	0.03	279	0.07
683	0.04	283	0.45
685	0.04	285	0.50
695	0.04	325	0.05
697	0.22	327	0.27
714	0.17	470	0.09
715	0.04	522	0.11
718	0.02	1290	5.04
720	0.09	1291	0.09
721	0.15	1292	5.40
722	0.16	1289	0.83
723	0.74	1287	1.60
724	1.15	1285	0.68
729	0.17	1294	0.44
742	0.02	1303	0.05



(1)	(2)	(3)
1304	0.67	भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।
1286	0.05	
1288	0.81	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, <b>प्रमोद गुप्ता</b> , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
705	0.08	
740	0.03	
750	0.25	कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
762	0.02	
854	0.05	
894	0.02	
897	0.05	भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2012
908	0.07	
911	0.30	प्र. क्र. 2-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
1000	1.05	
1012	0.06	
1019	1.27	
440	0.06	
280	0.98	
282	0.30	
713	0.05	
738	0.04	
772	0.60	
801	0.03	
824	0.06	
998	0.20	
1	0.53	
2	0.20	
43	1.50	
44	0.23	
45	5.90	
46	0.61	
1296	0.08	
1297	11.82	
कुल भूमि . .	304.37	

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भोपाल  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) ग्राम—नरेलाशंकरी  
(घ) कुल रकबा—2420 वर्गफिट

खसरा नं.	हेक्टेयर में
(1)	(2)
155, 154/10/1	0.0225
कुल योग . .	0.0225

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—132 के. वी. एवं 220 के. वी. एच. टी. लाईन की ऊंचाई बढ़ाने हेतु अतिरिक्त टावर लगाने के लिये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**निकुंज श्रीवास्तव**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कीटखेड़ी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2012

क्र. D-2965-दो-2-13-2010.—श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उप संचालक, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के सात होम एल.टी.सी. की सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लाक वर्ष 1 नवम्बर 2010 से 31 अक्टूबर 2012 तक की अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 11 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2012

क्र. C-5138-दो-2-16-2010.—श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी., जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 मई से 8 जून 2012 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 29 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2012

क्र. D-2959-दो-3-66-2011.—श्री एस.के. अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 28 मई से 7 जून 2012 तक ग्यारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के सात होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10

दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 22 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-2961-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री ओ.पी. दुबे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 187 दिवस (एक सौ सतासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

### गणना-पत्रक

- श्री ओ. पी. दुबे, सेवानिवृत्त : 8-3-1978  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
हरदा का नियुक्ति दिनांक.
- सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-5-2012
- नियुक्ति दिनांक 8-3-1978 : 9 वर्ष  
से दिनांक 9-3-1987 तक  
कुल सेवा अवधि.
- दिनांक 10-3-1987 से : 25 वर्ष 2 माह  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक  
कुल सेवा अवधि.
- कालम (3) में अंकित : 9×15=135 दिन  
अवधि हेतु समर्पण अवकाश  
की पात्रता (एक वर्ष में 15  
दिन की दर से).
- कालम (4) में अंकित अवधि : 25=24=12×15=180  
हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता दिन.

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).

टीप.—खण्ड माह की अवधि यदि :  $1 \times 7 = 7$  दिन एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए

7. कुल अर्जित अवकाश : 322 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाईये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 135 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 187 दिन

**नोट.**—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-5103-दो-2-34-2010.—श्री अलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 09 से 11 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5105-दो-2-14-2006.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-5107-दो-2-11-2012.—श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 02 से 04 अप्रैल 2012 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 05 से 13 अप्रैल 2012 तक नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रद्युम्न सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5109-दो-2-43-2011.—श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 31 मई से 14 जून 2012 तक पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून से 4 जुलाई 2012 तक बीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5111-दो-2-42-2007.—सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 29 मई से 7 जून 2012 तक दस दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के सात होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 18 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

जबलपुर दिनांक 25 जून 2012

क्र. C-5136-दो-2-29-2009.—श्री शम्भू दयाल दुबे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), इन्दौर को दिनांक 20 से 30 जून 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शम्भू दयाल दुबे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शम्भू दयाल दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5140-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 30 अप्रैल से 5 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 6 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5142-दो-2-42-2010.—श्री एस. एन. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 7 मई से 11 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मई

2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस.एन. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.एन. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5144-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 15 मई से 20 मई 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21 से 26 मई 2012 तक छः दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5146-दो-2-22-2008.—श्री आर. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 16 से 21 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जुलाई के एवं पश्चात् में दिनांक 22 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5148-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 4 से 8 मई 2012 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 8 मई 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 26 जून 2012

क्र. C-5180-दो-3-55-2006.—श्री भरत पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 मई 2010 से 30 अप्रैल 2012 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2012

क्र. C-5104-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 3 से 8 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-5107-दो-2-14-2005.—श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 28 अप्रैल 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.बी.एस. बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5109-दो-2-11-2009.—श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक

बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16 जून 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर दिनांक 29 जून 2012

क्र. C-5153-दो-2-6-2012.—श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, ए.डी.जे./ओ.एस.डी. (निरीक्षण एवं सतर्कता) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

- (1) दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16 से 18 जून 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
- (2) दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, ए.डी.जे./ओ.एस.डी. (निरीक्षण एवं सतर्कता) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ए.डी.जे./ओ.एस.डी. (निरीक्षण एवं सतर्कता)के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2012

क्र. 671-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री दिनेश कुमार नायक, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुँरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मुँरैना को, उनके कार्य के अतिरिक्त, मुँरैना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री दिनेश कुमार नायक, को मुँरैना सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने तक, श्री दिनेश कुमार नायक, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुँरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मुँरैना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
**सुभाष काकड़े**, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2012

क्र. 677-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए) शुद्धि-पत्र.— रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 671-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए), दिनांक 27 जून 2012 के पैरा-3 की प्रथम पंक्ति के शब्द “होने तक” के स्थान पर “होने पर” पढ़ा जावे।

**सुभाष काकड़े**, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2012

क्र. D-3153.— श्री एस.के. साहा, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ, जबलपुर की तदर्थ पदोन्ति/नियुक्ति की अवधि दिनांक 1 जुलाई से 31 अगस्त 2012 तक दो माह के लिये इस रजिस्ट्री के आदेश क्र. बी-2906, जबलपुर दिनांक 30 नवम्बर 2011, आदेश क्र. बी-637, जबलपुर दिनांक 29 फरवरी

2012, आदेश क्र. डी-1590, दिनांक 29 मार्च 2012 एवं आदेश क्र. सी-3465, दिनांक 26 अप्रैल 2012 के तारतम्य में बढ़ाई जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**सुभाष काकड़े**, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर दिनांक 2 जुलाई 2012

क्र. C-5214-दो-2-6-2012.— श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, ए.डी.जे./ओ.एस.डी. (निरीक्षण एवं सतर्कता) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 2 जून 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**एस. के. साहा**, रजिस्ट्रार.

जबलपुर दिनांक 2 जुलाई 2012

क्र. C-5216-दो-3-35-2011.— श्री आर.पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 27 से 30 जून 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.पी. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
**एस. के. साहा**, रजिस्ट्रार.